साप्ताहिक
शांति मिशन
नई दिल्ली

वर्ष-28 अंक- 37 12 - 18 सितंबर 2021 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

भारत में आभासी शिक्षा का संकट पृष्ठ - 6

सहिष्णुता हमारी ताक़त रही है हिंसा नहीं पृष्ठ - 7

बेसहारा लोगों को न्यायपालिका से आस

असहाय लोगों को सर्वोच्च न्यायालय से आशा

उच्चतम न्यायालय बार राजनैतिक पार्टियों को आगाह करती रही कि वह आपराधिक छवि वालों को टिकट न दें, पर मगर राजनैतिक दल है कि मानने को तैयार नहीं।

उच्चतम न्यायालय के बार बार राजनैतिक पार्टियों को आगाह करने कि वह आपराधिक छवि के प्रत्याशियों को टिकट न दें, बात नहीं पा रही है, अभी पिछले दिनों उसने कुछ राजनैतिक पार्टियों पर इसलिए जुर्माना भी लगाया है कि उन्होंने दाग़ी उम्मीदवारों को टिकट दिया, इसके बावजूद राजनैतिक दल है कि मानने को तैयार नहीं है। प्रश्न यह है कि आख़िर इसका समाधान क्या है?

सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। ऐसे में यदि उसके परिसर के समक्ष ही कोई युवती न्याय की आस में निराश होकर आत्मदाह कर ले तो यह कितनी बड़ी विडंबना कही जाएगी। पिछले दिनों ऐसा ही एक भयावह मंज़र देखने को मिला जब दुष्कर्म पीड़िता एक युवती और उसके साथी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद को आग के हवाले कर दिया। इससे पहले उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी पीड़ा भी भी व्यक्त की थी। इस पीड़ा में दोहरी विडंबना यह थी कि वह एक जनप्रतिनिधि द्वारा सताई गई थी और दूसरे उसे देश में न्याय के सबसे बड़े परिसर के सामने यह आत्मघाती क़दम उठाने पर विवश होना पड़ा। लड़की के पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी। परिवार में मां और एक पन्द्रह वर्षीय भाई है। उनका कोई सहारा नहीं बचा। दिवंगत युवती छात्रसंघ राजनीति में सक्रिय थी। इसी सिलसिले में वह अतुल राय के संपर्क में आई, जो फिलहाल मऊ से लोकसभा सदस्य है। राय पर ही युवती ने अपने उत्पीड़न का आरोप लगाया था। यह घटना मई 2019 की है। दो माह बाद पुलिस ने आरोप पत्र भी दाख़िल कर दिया, परंतु मामला अभी भी लंबित है। वह भी तब जब निर्भया काण्ड के बाद ऐसे मामलों में फैसले बहुत तेज़ी से आने लगे थे। उनमें कुछ तो एक पखवाड़े या महीनेभर में ही निपट गए।

सांसद राय की पृष्ठभूमि पर ग़ौर करें तो वह संदिग्ध रही है। ऐसे में उन्हें मामलों को उलझाने की कला बखूबी मालूम रही होगी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ खूब कानूनी दांवपेच आज़माए। इनमें लड़की के विरुद्ध जालसाज़ और हनीट्रैप का मामला दर्ज किया गया। अदालत ने इसका संज्ञान लेकर उसके ख़िलाफ़ गैर ज़मानती वारंट भी जारी कर दिया। ऐसे में 22 वर्ष की एक असहाय युवती के पास आत्मदाह के अलावा कोई और विकल्प नहीं रहा।

आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की एक ख़ास फितरत होती है। वे संगीन अपराधों से अपनी हनक बनाते हैं। फिर अवैध धंधों के ज़रिये बाहुबली से धनपशु बन जाते हैं। उनका अगला पड़ाव राजनीति बनती है ताकि उनके आपराधिक साम्राज्य को संरक्षण मिल सके। यह ख़राब चलन पिछले कुछ समय में ही आम हुआ है। उससे पहले अधिकांश अपराधियों को या तो सज़ा हो जाती थी या मुठभेड़ में मार गिराए जाते थे। अपराधियों की हनक पर पुलिस का इक़बाल भारी पड़ता था। राजनीतिक दल भी अपराधियों से कुछ दूरी बनाकर चलते, लेकिन पिछली सदी के अंतिम दशक से राजनीति की इस गरिमा में गिरावट आरंभ हो गई। इसका ही परिणाम है कि आज 43 प्रतिशत से अधिक जनप्रतिनिधियों पर गंभीर मामले दर्ज है। जब तक ऐसे घजन्य अपराधियों के संसद और विधानसभा पहुंचने पर अंकुश नहीं लगेगा, तब तक ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी जैसी बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के सामने घटी।

दिसम्बर 2012 में दिल्ली में घटित वीभत्स निर्भया कांड के बाद केन्द्र सरकार ने जस्टिस जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई थी। उन्हें देश के आपराधिक कानूनों की समीक्षा कर सुझाव देने को कहा गया था कि उनमें क्या सुधार किए जाएं कि दुष्कर्म जैसे अपराधों में त्वरित कार्रवाई पर कठोर सज़ा दी जा सके। उनकी रिपोर्ट पर कुछ छोटे मोटे सुधार भी हुए परंतु उनका भी कोई विशेष प्रभाव नहीं दिख रहा। जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट में चुनाव सुधारों पर अलग से एक महत्वपूर्ण अध्याय था, जिस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर संसद ने राजनीति के अपराधीकरण के ख़िलाफ़ एक क़ानून अवश्य पारित किया था, लेकिन उसके क्या परिणाम निकले यह किसी से छिपा नहीं।

ऐसे में केन्द्रीय चुनाव आयोग के पास कुछ विशिष्ट अधिकार तो होने ही चाहिए। जैसे कि उक्त मामले में ही जब सांसद अतुल राय निर्वाचित होने के बाद भी किसी न्यायालय से ज़मानत न मिलने के कारण शपथ नहीं ले पा रहे थे, तो आयोग उनके

बाक़ी पेज 11 पर

सत्ता के शोषण से बचाना अदालत की संवैधानिक ज़िम्मेदारी : मौलाना महमूद मदनी

दिल्ली दंगों में महिला की दस माह बाद ज़मानत, जमीयत उलेमा हिन्द के सदर मौलाना महमूद मदनी ने फैसले का स्वागत किया

नई दिल्ली : उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में बेगुनाही की शिकार दो छोटे बच्चों की मां तबस्सुम को आख़िरकार 10 माह बाद ज़मानत मिल गई। जज सुब्रमण्यम प्रसाद ने फैसला देते हुए कहा कि कोर्ट का यह कानूनी फरिज़ा है कि सरकार की महकमों की नाअहली से नागरिकों की स्वतंत्रता पर आंच न आये। उन्होंने कहा कि ज़मानत ज़रूरी है और क़ैद करना अलग बात है। अदालतों को अपने प्रभाव को इस्तेमाल करते हुए व्यक्तिगत आज़ादी को बहाल करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर ज़ोर दिया है कि अदालतों को दो पहलुओं पर जागरुकता का प्रदर्शन करना चाहिए। पहला यह कि वह फौजदारी क़ानून के उचित कार्यान्वयन को यक़ीनी बनाए और साथ ही इस बात को भी यक़ीनी बनाए कि क़ानून किसी को डराने का सबब न बनें। तबस्सुम के मुक़दमे के सिलसिले में कथित तथ्य पेश करते हुए कहा कि मुलज़िमा 10 माह से जेल में बंद है, इस सिलसिले में साक्ष्यों के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि वह प्रदर्शन स्थल के आसपास के किसी वीडियो फुटेज में नज़र नहीं आ रही है और यह दावा कि बुर्क़ा पहनने वाली चंद औरतों को पुलिस अधिकारियों पर हमला करते हुए पकड़ा गया है, जैसा कि विशाल चौधरी के वीडियो फुटेज में ऐसा आया है, यह आधारहीन है, क्योंकि मुलज़िमा की पहचान वीडियो फुटेज में नहीं हो पाई, इसलिए अदालत ये मानता है कि मुलज़िमा की क़ैद का कोई औचित्य नहीं है। अदालत के फैसले पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए जमीयत उलेमा हिन्द के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि "न्यायालय ने जो कुछ भी कहा है वह सच का आईनादार है, न्यायालय ने जिस तरह रद्देअमल का इज़हार किया है उससे दिल्ली दंगों में पुलिस और जांच एजेंसियों की भूमिका बेनकाब हुई है।

जमीयत उलेमा हिन्द ने तो शुरू में ही दिल्ली हाईकोर्ट में अर्ज़ी दाख़िल की थी कि दिल्ली दंगों की स्पष्ट जांच करवाई जांच कराई जाए और साक्ष्यों के संरक्षण को यक़ीनी बनाए जाए, उन्होंने कहा कि अफसोस इस बात पर है कि दंगों के लगभग डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद भी असल अपराधियों को पता नहीं चलाया गया और खानापूर्ति के लिए बेकसूर व्यक्तियों को पकड़ कर जेल में डाला गया। दंगों के आठ माह बाद तबस्सुम के घर बाहर एक नोटिस वाला गया जिससे एक शहरी की समाजी ज़िन्दगी प्रभावित हुई और उसे केवल संदेह के आधार पर दस माह तक जेल में रहने को मजबूर होना पड़ा। जमीयत उलेमा हिन्द ऐसे परेशान लोगों के मुक़दमात लड़ रही है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे वकीलों के पैनल की कोशिशों से 300 मुक़दमात में ज़मानतें हुई हैं। जमीयत के वकील मौलाना नियाज़ अहमद फारूकी साहब की निगरानी में 350 से ज़्यादा मुक़दमात की पैरवी कर रही है।

तालिबान से बात करने में हर्ज ही क्या है?

भरत कर्नाड

युद्ध होते है, जनांदोलन उभरते हैं, विदेशी दख़ल नाकाम हो जाती है, सरकारें गिरती हैं, नया निज़ाम सामने आता है। तीसरी दुनिया के अधिकतर देशों में ऐसा ही हाल दिखता रहा है। लिहाज़ा अफ़गानिस्तान में पिछले दिनों जो कुछ हुआ, उसमें कोई हैरत की बात नहीं थी। अमेरिका का राजनीतिक साहस चूक गया और वहां एक दूसरे से तक़रार होने लगी कि अफ़ग़ानिस्तान किसके चलते हाथ से निकल गया। अशरफ़ ग़नी ख़तरनाक होते हालात के बीच देश से निकल गए और अफ़गानिस्तान की नैशनल आर्मी ग़ायब सी हो गई। कुछ उसी तरह, जैसे वे दो लाख करोड़ डॉलर हवा हो गए, जिन्हें अमेरिका ने इस 'कभी न ख़त्म होने वाली जंग' में झोंका था। इन सबका अनुमान पहले से था। हैरत की बात केवल एक रही। जिस तेजी से तालिबान का काबुल पर दोबारा कब्ज़ा हुआ, उससे सब हैरान रह गए।

इसके बाद अब नफा-नुकसान के हिसाब किताब का मामला है। तालिबान मॉडर्न डेमोक्रेसी की राह तो पकड़ेगा या नहीं यह तो अभी दूर की कौड़ी है। मुल्ला उमर को जब अमीर घोषित किया गया, तब 1998 में कुछ इस्लामिक विद्वान्ों ने 'दस्तूर अमारात इस्लामी अफग़ानिस्तान' तैयार किया था। 2020 में इसी तरह एक और दस्तावेज़ 'मंसूर एमारात इस्लामी अफग़ानिस्तान' तैयार किया गया। दोनों ही दस्तावेज़ों में लोकतंत्र की मुखालफ़त की गई। जहां तक ताज़ा हालात की बात है तो हैबतुल्लाह अखुंदज़ादा और अब्दुल ग़नी बरादर की कमान में तालिबान लीडरशिप का रुख़ अब तक ठीक-ठाक दिखा है। उन्होंने सबका ख़्याल रखने वाली सरकार बनाने और आम माफ़ी देने का वादा किया है।

लेकिन विपक्षी खेमा भी लामबंद हो रहा है। तालिबान में काफी हद तक गिलजई कबीले के लोग हैं। ऐसे में दूसरे पश्तून कबीले ताजिक, बलूच और शिया हज़ारा लड़ाकों के साथ जा सकते हैं। वे पिछली सरकार के उप-राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्ला मोहिब से जुड़ना बेहतर मान सकते हैं। सालेह और मोहिब के साथ अफ़ग़ान आर्मी की कई यूनिट्स अब भी हैं। पंजशीर घाटी में बैठे अहमद मसूद के वफादार ताजिक भी इनके साथ हैं। उधर, कर्नल अब्दुल दोस्तम भी उज्बेक खेमे को एकजुट कर रहे हैं। ऐसे में पिछली बार नॉर्दर्न अलायंस ने जैसी टक्कर तालिबान को दी थी, उससे कहीं ज़्यादा प्रतिरोध इस बार उभर सकता है।

चीन का मानना है कि तालिबान के हाथ तंग हैं, लिहाज़ा वह भारी भरकम कर्ज़ देकर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स के ज़रिए तालिबान को अपने साथ जोड़ सकता है। रूस अब तक सबके सामने तालिबान के पक्ष में दिख रहा है, लेकिन उसकी सोच यह है कि वह मध्य एशिया के आसपास के देशों को पंजशीर घाटी के लड़ाकों का साथ देने को तैयार कर लेगा। ताजिकिस्तान को पहले ही उनके साथ है। उधर, पाकिस्तान मान रहा है कि उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई क्वेटा और पेशावर की शूरा के साथ तालमेल बनाकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के मिजाज़ ठंडे कर देगी। तीनों देशों की राय बन चुकी है कि तालिबान शासन को जल्द से जल्द औपचारिक मान्यता दे देनी चाहिए

बाक़ी पेज 11 पर

शुभ है भारत-तालिबान संवाद

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

मुझे खुशी है कि क़तर में नियुक्त हमारे राजदूत दीपक मित्तल और तालिबानी नेता शेर मुहम्मद स्थानकजई के बीच दोहा में संवाद स्थापित हो गया है। भारत सरकार और तालिबान के बीच संवाद क़ायम हो, यह बात मैं बराबर पिछले कई दिनों से लगातार कह रहा हूं, और हमारे विदेश मंत्रालय से अनुरोध कर रहा हूं। पता नहीं, हमारी सरकार क्यों डरी हुई या झिझकी हुई थी।

तालिबान शासन के बारे में जो शंकाएं भारत सरकार के अधिकारियों के दिल में थीं और अब भी हैं, बिल्कुल वही शंकाएं पाकिस्तान सरकार के मन में भी हैं। इसका अंदाज़ा मुझे पाकिस्तान के कई नेताओं और पत्रकारों से बातचीत करते हुए काफी पहले ही लग गया था। आज उन शंकाओं की खुले आम जानकारी पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बयान से सारी दुनिया को मिल गई है। कुरैशी ने कहा कि वे तालिबान से आशा करते हैं कि वे मानवाधिकारों की रक्षा करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान अकेले ही तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दे देगा। उन्होंने साफ-साफ कहा कि अफग़ान सरकार को मान्यता देने के पहले वह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के रवैये का भी ध्यान रखेंगे।

पाकिस्तान सरकार का यह आधिकारिक बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आज के तालिबान पाकिस्तान के चमचे होते तो वह उन्हें 15 अगस्त को ही मान्यता दे देता और 1996 की तरह सऊदी अरब और यू.ए.ई. से भी दिलवा देता लेकिन उसने भी वही बात कही है जो भारत चाहता है, यानि अफग़ानिस्तान में अब जो सरकार बनें, वे ऐसी हो जिसमें सभी अफग़ानों का प्रतिनिधित्व हो।

पाकिस्तान को पता है कि यदि तालिबान ने अपनी पुरानी ऐंठ जारी रखी तो अफग़ानिस्तान बर्बाद हो जाएगा। दुनिया का कोई देश उसकी मदद नहीं करेगा। पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। पहले से ही 30 लाख अफग़ान वहां जमे हुए हैं।

बाक़ी पेज 11 पर

राजधानी में तीसरी लहर का ख़तरा फिलहाल कम

राजधानी में पिछले लगभग 2 माह से कोरोना का ग्राफ स्थिर है। दैनिक मामले 100 से नीचे हैं और संक्रमण दर भी 0.15 प्रतिशत से कम बना हुआ है। इस समय देश में संक्रमण के जितने मामले आ रहे हैं उनमें दिल्ली के महज 0.10 प्रतिशत हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि राजधानी में कोरोना के ख़िलाफ़ हार्ड इम्यूनिटी बन चुकी है। करीब 66 प्रतिशत आबादी को टीके की पहली खुराक भी मिल चुकी है। इससे लंबे समय से वायरस से हालात नियंत्रण में है। टीकाकरण की बढ़ती रफ्तार और किसी नए वैरिएंट के न होने से अब तीसरी लहर का ख़तरा भी कम हो गया है

दिल्ली में पिछले वर्ष कोरोना की शुरुआत के बाद ऐसा पहली बार है कि जब करीब तीन महीने से संक्रमण के मामलों में बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है, वायरस के सभी मानक नियंत्रण में है। रोज़ाना औसतन 75 हजार जांच होने पर भी अब सिर्फ औसतन 37 मामले रोज़ाना आ रहे हैं। सक्रिय मरीज़ भी 400 से कम रह गए हैं। दूसरी लहर में जो दैनिक मामले 28,395 तक पहुंच गए थे वह पिछले दिनों 17 तक खिसक गए थे। मौत के मामले जो 400 से पार पहुंच गए थे अब एक या दो तक सिमट गए हैं। पिछले लगभग दो माह से दैनिक मामले 100 या इसके आसपास बने हुए हैं और संक्रमण दर भी 0.10 प्रतिशत से कम है। पिछले वर्ष कोरोना की शुरुआत के बाद ऐसा पहली बार है जब करीब दो माह से वायरस में स्थिरता बनी हुई है।

दिल्ली के मौजूदा हालातों पर सफदरजंग अस्पताल के कम्यूनिटी मेडिसन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जुगल किशोर का कहना है कि दिल्ली में रोज़ाना 70 हज़ार से ज़्यादा जांच हो रही हैं। बावजूद इसके, मामलों में कोई इज़ाफ़ा नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अब संक्रमित होने के लिए कुछ ही लोग बचे हैं। करीब 66 प्रतिशत आबादी को पहली खुराक भी लग चुकी है। इसके अलावा कोई नया स्ट्रेन फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगली लहर तभी आ सकती है जब कोई ऐसा स्ट्रेन आए जो वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी को चकमा दे और उसका प्रसार तेजी से हो।

लोक नायक अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉ॰ सुरेश कुमार का कहना है कि दिल्ली में तेज़ गति से टीकाकरण हो रहा है। कोरोना जांच भी रिकॉर्ड स्तर पर की जा रही है। साथ ही संक्रमण से बचाव के नियमों का पालन भी सख़्ती से हो रहा है। यह तीन कारण है कि लंबे समय से कोरोना के हालात नियंत्रण में हैं। डॉ. सुरेश ने कहा कि मौजूदा समय में वायरस बेदम है और उम्मीद है कि लंबे समय तक यही स्थिति रहेगी। हालांकि, यह कहना अभी जल्दबाज़ी होगा कि अगली लहर आ सकती है या नहीं। यह सब कुछ वायरस में हो रहे बदलावों पर निर्भर करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि लोग महामारी को हल्के में न ले और नियमों का पालन करते रहें।

दिल्ली में 02 मार्च 2020 को पहला मामला आने के बाद 11 अप्रैल तक 1000 तक संख्या पहुंच गई थी संक्रमितों की।

पिछले वर्ष 11 नवंबर को दैनिक मामलों की संख्या 8775 तक पहुंची थी। फरवरी 2021 में कोरोना का ग्राफ गिरा और दैनिक मामले 85 तकरह गए थे। मार्च में दूसरी लहर की शुरुआत हुई और 28395 तक दैनिक मामले पहुंच गए थे।

मई तक दूसरी लहर का प्रकोप रहा। जून से मामले कम होने लगे और 18 जुलाई के बाद से एक भी दिन दैनिक मामले 100 से ऊपर नहीं गए हैं। ❑❑

दिल्ली को बाग़ों का शहर बनाएगी 'केजरीवाल' सरकार

अब दिल्ली बनेगी बाग़ों का शहर। केजरीवाल सरकार दिल्ली के सभी पार्कों को सौंदर्यीकरण करेगी, जिससे दिल्ली की खूबसूरती में चार चांद लगेंगे। मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना के तहत दिल्ली के सभी पार्कों को खूबसूरत बनाया जाएगा। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने कहा कि दिल्ली विश्व के खूबसूरत शहरों में शामिल होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली को बाग़ों का शहर बनाया जाएगा। श्री सिसौदिया ने कहा कि दिल्ली दिल्ली के पार्कों को सहेजने और खूबसूरत बनाने में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हमारी शान है और हम इसे खूबसूरत बनाएंगे। उपमुख्यमंत्री ने इस योजना की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को इस बाबत निर्देश भी दिए। दिल्ली के पार्कों को खूबसूरत बनाने की इस मुहिम के तहत उपमुख्यमंत्री श्री सिसौदिया ने दिल्ली के पार्कों का दौरा कर जायज़ा लिया। साथ ही आस पास के निवासियों से पार्कों के सौंदर्यीकरण को लेकर सुझाव भी लिए जा रहे हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली एक परिवार की तरह है और इस परिवार को खूबसूरत बनाने में हर सदस्य की एक अहम भूमिका है। दिल्ली के पार्कों को खूबसूरत बनाने में हम दिल्ली के सभी नागरिकों का योगदान चाहते हैं। हम सभी मिलकर अपनी दिल्ली को खूबसूरत बनाने में योगदान दें। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली को खुशहाल बनाने के प्रति प्रतिबद्ध है। इस दिशा में दिल्ली के सभी पार्कों का सौंदर्यीकरण करना एक बड़ा क़दम साबित होगा। जब दिल्ली के नागरिक इन पार्कों में जाएंगे तो उन्हें खुशनुमा माहौल मिलेगा। उन्होंने कहा कि राजधानी के सभी पार्क दुनिया के विकसित देशों के पार्कों की तरह आकर्षक लगे।

संपादकीय
शांति मिशन

शिक्षक बच्चों पर ध्यान दें शिक्षक दिवस का संदेश

पूर्व राष्ट्रपति और मिजाइल मैन कहे जाने वाले डॉ॰ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा था कि शिक्षा देना एक अज़ीमुशशान और ऊँचे दर्जे का कार्य है जो किसी व्यक्ति के भविष्य को एक नया रूप देता है। भारत में प्रत्येक वर्ष 05 सितम्बर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और उसी दिन को पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन की यादगार के तौर पर मनाया जाता है। एक तरह से उनकी तालीमी ख़िदमात का एतराफ होता है कि उन्होंने अपनी ज़िन्दगी का आरंभ शिक्षा देने से ही किया था और विकास की राह तय करते हुए वह देश के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे थे ज़ाहिर है उनकी यह सफलता इसी पढ़ने और पढ़ाने की देन थी। इस वर्ष भी 05 सितंबर को देशभर में शिक्षक दिवस मनाया गया और हर तालीमी संस्थान में डॉ. राधाकृष्णन की सेवा को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

इस सच्चाई से इंकार मुमकिन नहीं है कि शिक्षक ही नई नस्ल को संवारने का अहम काम अंजाम देते हैं। हर कौ़म और मज़हब में शिक्षक को उसके पेशे की अज़्मत की वजह से अहमियत हासिल है। शिक्षक का अहम काम इंसान बनाना होता है, इस काम में निसाबे तालीम और तालीमी संस्थानों का प्रभाव भी होते हैं लेकिन यह सच्चाई है कि पूरे तालीमी सिस्टम को केन्द्र एक शिक्षक ही होता है। शिक्षा देने की प्रक्रिया जो भी हो लेकिन शिक्षक उसे जिस तरह से पढ़ा सकता है वह उसके ज्ञान का स्रोत ही कहा जाएगा। राष्ट्रों के विकास में शिक्षक का रोल अहमियत वाला होता है। इंसानियत को संवारने और ज्ञान को बढ़ाने में शिक्षक के रोल से किसी ने इंकार नहीं किया है। जन्म-जन्म से निज़ामे तालीम में शिक्षक को ऊंचा स्थान हासिल है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों की तर्बियत में उसी तरह मगन रहता है, जैसे एक बाग़ वाला हर समय अपने पेड़ पौधों की देखभाल में लगा रहता है। पढ़ाना वह कार्य है जिसे केवल इस्लाम ही नहीं बल्कि विश्व के हर धर्म और समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त है। लेकिन यह हकी़कत है कि विश्व ज्ञान ने अध्यापक की हकी़की स्थान को कभी इस तरह पेश नहीं किया जिस तरह इस्लाम ने इंसानों को शिक्षक के आला मका़म से आगाह किया है। इसलिए शिक्षक संस्कार देता है इस लिए ज़रूरी है कि वह बच्चों को तमाम गतिविधियां उनकी ग़लतियों और अच्छाईयों पर अच्छी तरह ध्यान रखें, बच्चों में काम को समय पर न करने की आदत होती है, जो उसे उस के घरेलू माहौल से विरासत में मिलती है, अध्यापक को चाहिए कि बच्चे की तर्बियत में इसका ध्यान रखे और अपनी मीठी बातों से उसे इस आदत को छोड़ने को तैयार करे। आज कल मोबाईल हर बच्चे के हाथ में है और यह उनके अभिभावकों ने ही लेकर दिया है। सोशल मीडिया हर बच्चे के हाथ में है यह उनके अभिभावकों ने ही लेकर दिया है। सोशल मीडिया एक बड़ी और बेसिम्त दुनिया है। यहां हर बुराई अत्याधिक संख्या में उपलब्ध है- बच्चे सोशल मीडिया के वजह से केवल अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं बल्कि उनके अख़लाक़ भी तबाह हो रहे हैं। सोशल मीडिया और नई टेक्नोलॉजी का अनावश्यक प्रयोग खामोश कातिल बन चुका है। सोशल मीडिया के अनावश्यक इस्तेमाल से दृष्टि की कमज़ोरी और दिमाग़ की गांठ भी हो सकती है। कमर दर्द, मोटापा, बदहज़्मी, यह आम रोग हैं, हाथ गर्दन की हड्डी में टेड़ापन होने की संभावना अधिक है। मोबाईल फोन की आदत नशा में गिनी जाने लगी है। माता-पिता को चाहिए कि स्वयं भी मोबाईल फोन का प्रयोग कम करें, और मोबाईल को हर समय अपने हाथों में न रखें नहीं तो बच्चों को लगेगा जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, ज़िन्दगी का हिस्सा है उसी तरह मोबाईल फोन भी ज़िन्दगी का लाज़िमी अंग है। एक अध्यापक का भी कर्तव्य है कि वह छात्रों को मोबाईल के नुकसानात और सही उपयोग से अवगत कराए और मोबाईल के प्रयोग का अच्छा रास्ता सुझाए ताकि वह अपना ज़्यादा समय इसमें न गंवाएं। इसी तरह अध्यापकों का यह भी कर्तव्य है कि शिक्षकों को सुधार और मोबाईल के इफेक्ट के बारे में अवगत कराते रहें। कुछ बच्चे बुरी संगत से प्रभावित होकर भटक जाते हैं इस तरह शिक्षक अपने शार्गिदों को शिक्षा के ज़ेवर से संवारने साथ-साथ उनके व्यवहार और गतिविधियों पर भी नज़र रखें। अगर बच्चे फिर भी बुरे रास्ते पर चल रहे हैं तो उनके अभिभावक से संवाद करें और उन्हें बच्चों के इस व्यवहार के बारे में बताएं कि वह बच्चे को इन आदतों को सुधारने में कैसे मदद कर सकते हैं, अपने बच्चों को गली मुहल्ले के बच्चों के साथ फुटबॉल, क्रिकेट, बेंडमिंटन खेलने दें लेकिन बच्चों के दोस्तों पर नज़र रखें। बच्चों में आदत छालें कि जब वह बाहर जाएं तो अपने दोस्तों के नाम और जगह का नाम और घर का पता बताकर जाएं। बच्चे अगर गलती करते रहते हैं तो उस्ताद को चाहिए कि वह बच्चे से प्यार भरे अंदाज़ में बात करके उनका सुधार करें ताकि उनके भरोसे में कमी न आए। अगर उनकी गलती पर उन्हें डांट मिलने लगती है तो बच्चों में घबराहट पनपने लगती है इसलिए बच्चों की गलतियों को बतायें और साथ ही उनका उत्साह भी बढ़ाते रहना चाहिए।

माँ-बाप यह बात मानें या न मानें लेकिन यह एक सच्चाई है कि बच्चों को अच्छे संस्कार और उनके अख़लाक़ में सुधार उनकी ज़िम्मेदारी हैं। बच्चों के सामने अभिभावक भी अदब व एहतराम का प्रयोग करें। हलाल रोज़ी खाएं। समय की पाबंदी करें, सच बोलें, मेहमान की इज्ज़त करें, यह बच्चों के लिए अमली तर्बियत होगी और जिसके प्रभाव देर तक रहेंगे।

याद रखिए वाल्दैन बच्चों को अर्श से फर्श पर लाने का स्रोत बनते हैं जबकि अध्यापक बच्चों को फर्श से अर्श पर पहुंचाता है, सिकंदर किसी ने पूछा था कि आप अरस्तू को अपने बाप पर क्यों प्राथमिकता देते हैं तो सिकंदर ने कहा था कि बाप ने मुझे आसमान से ज़मीन पर लाया और मेरे गुरु अरस्तू ने मुझे ज़मीन से आसमान पर पहुंचा दिया। बाप केवल बदन की परवरिश करता है जो समाप्त होने वाली है और उस्ताद रूह को प्यास बुझाने का सबब बनता है जो हमेशा रहने वाली है।

विद्यार्थी गुरु के पास अभिभावक की अमानत होती है इसलिए ज़रूरी है कि वह अमानत का सही हक़ अदा करता रहे। उनकी तर्बियत का अंदाज़ करीमानाहो, सल्फे सालेहीन के शिक्षा के समय के वाकेआत उन्हें सुनाएं जाएं और गहराई से अध्ययन किया जाए। विद्यार्थियों के समय का ठीक से उपयोग किया जाए, उनके सामने चुगली, चुगलखोरी और फालते बातों से बचा जाए, उनकी क्षमता के अनुसार जवाब और बयान का उपयोग हो वह कोई मश्वरा मांगें तो अच्छा मश्वरा दें, अपनी खिदमत लेने में एहतियात से काम लें। कभी-कभी तर्बियती कैम्प भी लगाएं। यह बच्चों की तर्बियत के कुछ छोटे अध्याय हैं जिन पर शिक्षक अमल करके न सिर्फ अपने शिष्यों की तर्बियत का फरिज़ा पूरा कर सकते हैं बल्कि दुनिया और आख़िरत में अपनी और उनकी सफलता का सबब भी बन सकते हैं।

एक शिक्षक को मालूम होना चाहिए कि शिक्षा और शिक्षण की कोताही नाकाबिले काफी जुर्म है इसलिए कि तारीख़े इंसानी के पहले मुअल्लिम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने स्वयं को मुअल्लिम इरशाद फरमाया और तालीम व तर्बियत को इस क़दर अहमियत दी कि इस सिलसिले की छोटी सी ग़लती को भी पकड़े जाने के का़बिल करार दे दिया, इसलिए ज़रूरी है कि हमारे शिक्षक अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए तालीम व तर्बियत के अध्याय में अपनी दीनल व शरयी ज़िम्मेदारी को निभाने की कोशिश करें।▫▫

तारीख़े इस्लाम
ख़ुतबाते सीरते तैयिबा
मुफ़्ती मुहम्मद सलमान मंसूरपुरी क़िस्त-89

बादशाहों को इस्लाम की दावत

चूँकि कु़रैश के लोगों से जंगबंदी मुआहदा हो चुका था, इस लिए पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम ने यह हिक्मते अ़मली अपनाई कि दुनिया में जो बड़े बड़े बादशाह और ताक़तें हैं, उन को इस्लाम की दावत पेश की जाए।

चुनान्चे सब से पहले पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम ने मुल्के हबशा के नज्जाशी बादशाह के नाम एक तहरीर रवाना फ़रमाई, जिस में मज़हबे इस्लाम की दावत दी गई थी, नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की वह तहरीर जब नज्जाशी के पास पहुंची तो उस ने बहुत इज़्ज़त, तौकी़र और इकराम का मामला किया और उस ने जवाब लिखवाया जिस में अपने इस्लाम कु़बूल करने का और कलिमाए शहादत के इक़रार का ज़िक्र किया, और हदिये और तहाइफ़ दे कर लोगों को वापस किया, पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम ने उनके लिए तारीफ़ी कलिमात इर्शाद फ़रमाये, और जब उनकी वफ़ात हुई तो पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में उनकी ग़ायबाना नमाज़े जनाज़ा भी पढ़ाई। (दलाइलुन्नबुव्वत जि. 4 स. 410, अल बिदाया वन्निहाया 4/655, अर-रहीकु़ल मख़्तूम 549)

इसी तरह मिस्र के बादशाह मुक़ौक़िस के नाम भी इस्लाम की दावत रवाना फ़रमाई उसने भी इकराम का मामला किया और पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम के लिए जवाब में दो बाँदियाँ : (1) हज़रत मारिया कि़बतिया, जिनको आप ने अपने लिए रखा, (2) सीरीन, जो हज़रत हस्सान बिन साबित को दी, और एक ख़च्चर हदिये में भेजा। (अल बिदाया वन्निहाया 4/665)

उस ज़माने में 2 सुपर ताक़तें थीं: (1) फ़ारस (2) रूम। फ़ारस के बादशाह को किसरा कहा करते थे, और उस ज़माने में जो वहाँ का बादशाह था वह ''ख़ुसरू परवेज़'' के नाम से जाना जाता था, नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा सहमी रज़ि अल्लाहु अ़न्हु को उसके नाम ख़त लेकर रवाना किया, जिस में उसको इस्लाम की दावत दी गई थी, वह इतना बड़ा मुतकब्बिर और घमंडी आदमी था कि उस ने जनाबे रसूलुल्लाह के नामे मुबारक को देख कर कहा कि : ''अच्छा उनकी यह हिम्मत मेरे नाम से पहले अपना नाम लिख दिया'' (हुज़ूर ने लिखा था कि मुहम्मद की तरफ़ से ख़ुसरू परवेज़ की तरफ़) और ग़ुस्से में फ़ौरन चाक कर के और टुकड़े टुकड़े करके डाल दिया। नबी-ए-अकरम अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम को जब यह ख़बर मिली तो आप ने फ़रमाया कि : ''जिस तरह उस ने मेरे ख़त के टुकड़े टुकड़े किए हैं अल्लाह तआ़ला उसकी हुकूमत के भी इसी तरह टुकड़े टुकड़े कर दे'' चुनान्चे कुछ ही अरसा गुज़रा था कि उसकी हुकूमत का नास हो गया और नाम व निशान मिट गया और रेत के तूदे की तरह से गिरती चली गई, अल्लाह तआ़ला ने उसका इन्तिज़ाम किया। (अल बिदाया वन्निहाया जि. 4 स. 662, बुख़ारी शरीफ़ जि. 2 स. 637)

दूसरी बड़ी ताक़त रूमियों की थी, और रूमियों का बादशाह ''कै़सर'' कहलाता था, उसका नाम ''हिरक़ल'' था, नबी-ए-अकरम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत दहिया कलबी रज़ि अल्लाहु अ़न्हु को ख़त देकर रवाना फ़रमाया, बुख़ारी शरीफ़ के अंदर उसका पूरा वाकि़आ मन्क़ूल है। जिस में यह था कि हम और तुम अहले किताब हैं, अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं, तुम्हारे भी पैग़म्बर हैं और हमारे भी पैग़म्बर हैं, और हम दोनों में एक बात क़द्रे मुश्तरक है कि अल्लाह को हम भी माबूद मानते हैं और तुम भी माबूद मानते हो, इस लिए हम दोनों आपस में मिल जायें, कु़रआने करीम में इसका ज़िक्र आया है:

''आप फ़रमाइये! ऐ अहले किताब आओ, उस मुत्तफ़क़ा बात की तरफ़, जो हम में और तुम में बराबर है कि हम सिवाए अल्लाह के किसी को माबूद न बनायें और उस के साथ किसी को शरीक न ठहरायें।''

यानी जो चीज़ हम दोनों के दिरमियान मुशतरक है उस पर इत्तिफ़ाक़ कर लो, बकि़''या बैठ कर हल हो जाएंगी, और आप ने यह भी लिखा कि मान जाओ अगर नहीं मानोगे तो जो तुम्हारे ताबेदार हैं उनकी गुमराही का गुनाह भी तुम्हारे ही ऊपर होगा। यह हिरक़्ल बैतुल मुक़द्दस आया हुआ था, हज़रत दहिया कलबी वहाँ पहुंचे और दरबार में वह ख़त पेश किया, यह आदमी समझदार थे, उन्होंने कहा कि जो ख़त आया है उसकी अहमियत है, लेकिन उसके बारे में तहक़ीक़ करनी चाहिये।

हम ना तो किसी को धोखा देते हैं और न ही किसी से धोखे की उम्मीद करते हैं जसवीर सिंह गढ़ी

पंजाब में कोई ढाई दशक बाद शिरोमणि अकाली दल और बसपा एक बार फिर मिलकर चुनाव लड़ रहे होंगे। 117 सीटों वाली विधान सभा में 97 पर अकाली दल और 20 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी। इस मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा दलित आबादी है, दलित राजनीति को धार देने वाले कांशीराम की जनमस्थली भी पंजाब ही है फिर भी बसपा वहां कैसे पिछड़ी रह गई, पेश है इन तमाम मुद्दों पर प्रदेश बसपा अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी से हुई बातचीत के प्रमुख अंश:-

प्रश्न:- अकाली दल के साथ गठबंधन में सिर्फ 20 सीटें बीएसपी को मिली है, किस फार्मूले के साथ आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या डेप्यूटी सीएम बीएसपी का होगा?

उत्तर:- हमारी पहली प्राथमिकता है गठबंधन को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लाना। सत्ता में भागीदारी का क्या स्वरूप होगा, यह बहन मायावती तय करेंगी। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच गठबंधन को सत्ता में लाने का जूनून है।

प्रश्न:- बसपा पंजाब में ताक़त क्यों नहीं बन पाई जबकि पार्टी के संस्थापक कांशीराम की जन्मस्थली है पंजाब.?

उत्तर:- ऐसा नहीं कि पंजाब में हम कभी ताक़त नहीं बन पाए। 1992 के विधानसभा चुनाव के नतीजे देखिए, राज्य में हम दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थे। अकाली दल और भाजपा हमसे पीछे थे। 1996 लोकसभा चुनाव के लिए अकाली दल ने हमारे साथ गठबंधन किया। तब हमारे मोर्चे के राज्य की 13 में से 11 सीटों पर जीत दर्ज की। बाद में पंजाब के राजनीतिक समीकरण बदल गए। वहां दो मज़बूत गठबंधन बन गए। ऐसे में बसपा कमज़ोर पड़ गई क्योंकि वह किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं थी। ये गठबंधन करीब 25 साल चले, उसकी वजह से हम वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए, जैसा हमें करना चाहिए था।

प्रश्न:- लेकिन उसी दौर में यूपी में बसपा अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ती चली गई, वह कैसे..?

उत्तर:- यूपी और पंजाब के फर्क को समझना होगा। यूपी में उस दौर में कांग्रेस का क़िला ढह गया था। कांग्रेस के मुक़ाबले से बाहर होने के बाद सबके बीच बराबरी का मुक़ाबला हुआ था। यूपी में बसपा के सामने पंजाब की तरह कोई गठबंधन नहीं था। राज्य के लोगों ने कांग्रेस के हाशिए पर जाने के बाद बीएसपी को विकल्प के रूप में स्वीकार कर लिया था।

प्रश्न:- यूपी में बीएसपी ने अलग अलग समय पर अलग अलग दलों के साथ गठबंधन किए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। ऐसे में पंजाब से उसको क्या उम्मीदें हैं..?

उत्तर:- पंजाब में बसपा/अकाली दल गठबंधन सफल होगा। इसे लेकर मीडिया को कोई संशय नहीं होना चाहिए। हम न तो किसी को धोखा देते हैं, न ही किसी से धोखे की उम्मीद करते हैं।

प्रश्न:- गठबंधन में बसपा की हमेशा यह शिकायत रही है कि उसका वोट तो सहयोगी दल को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन सहयोगी दल का वोट उसे ट्रांसफर नहीं होता?

उत्तर:- पंजाब में अकाली दल और बसपा गठबंधन टेस्टेड है। वोट ट्रांसफर होने को लेकर दोनों ही दलों के मन में कोई संदेह नहीं है। 1996 लोकसभा चुनाव में एक दूसरे को वोट ट्रांसफर हुआ, तभी तो हम 13 में से 11 सीटे जीतने में सफल रहे। दोनों ही पार्टियां काडरबेस्ड हैं।

प्रश्न:- 2017 विधानसभा चुनाव में अकाली दल/भाजपा गठबंधन की वजह अकाली दल के ख़िलाफ़ जनता की नाराज़गी को माना जाता है। भाजपा खुद कह चुकी है कि अकाली दल की वजह से 2017 में उसकी नैया डूबी.?

उत्तर:- अगर कोई गठबंधन सरकार चल रही थी तो और उसकी हार हुई तो उसका कोई पैमाना नहीं हो सकता कि हार किसी वजह से हुई। हार की वजह सामूहिक ही मानी जाती है। दूसरी बात, अगर अकाली दल की वजह से भाजपा को हार मिली थी तो गठबंधन 2020 तक क्यों बना रहा? एक बात और यह है कि भाजपा गठबंधन से अलग नहीं हुई बल्कि अकाली दल ने उससे नाता तोड़ने का फैसला किया है।

प्रश्न:- जैसे ही अकाली दल ने भाजपा से गठबंधन तोड़ा, बीएसपी ने उसके साथ गठबंधन कर लिया, कोई खास वजह.?

उत्तर:- हमारा और अकाली दल का साथ कोई नया नहीं है। किन्हीं वजहों से अकाली दल ने भाजपा के साथ हाथ मिला लिया था और संयोग से वह गठबंधन लंबा चला है। अकाली दल अब भाजपा के साथ नहीं है। पंजाब को लेकर हम दोनों के विचार एक हैं तो हमें लगा कि हमें फिर से गठबंधन करना चाहिए।

प्रश्न:- यूपी में तो बसपा ब्राह्मण-ब्राह्मण कर रही है, पंजाब में किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेगी?

उत्तर:- सिर्फ ब्राह्मण-ब्राह्मण नहीं कर रही है बल्कि बसपा और उसके नेता बहन मायावती हर उस जमात के साथ हैं, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। यूपी में ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है। किसान बिल के ज़रिए भाजपा किसानों के हक़ पर ढाका डाल रही है तो बसपा किसानो के साथ भी है।□□

रूटलेस नहीं हूं, लोहिया का शिष्य हूं आरजेडी में सिर्फ लालू हैं मेरे ऊपर जगदानंद

बिहार की राजनीति में इधर बहुत गर्माहट देखने को मिल रही है। एक ओर, लालू की राजनीतिक विरासत को लेकर उनके बेटों के बीच छिड़ी जंग का असर आरजेडी में देखने को मिल रहा है और तेज प्रताप यादव अपनी ही पार्टी अध्यक्ष के ख़िलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो दूसरी ओर जातीय जनगणना की मांग पर नीतीश कुमार और तेजस्वी के न केवल सुर एक हैं, बल्कि दोनों कई मुद्दे पर राय जुदा है। पेश है इन तमाम मुद्दों पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से हुई बातचीत के प्रमुख अंश :-

प्रश्न:- बिहार का जो राजनीतिक घटनाक्रम है, उसका वहां की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है?

उत्तर:-आरजेडी बिहार बचाने की लड़ाई लड़ रही है। जनता से प्रमाणित सच यह है कि आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। अपनी नीतियों से समझौता करने वाले लोग नहीं है। हमारे लिए सत्ता मायने नहीं रखती, जनता से जवाबदेही मायने रखती है।

प्रश्न:- क्या इन दिनों आरजेडी में सब कुछ ठीक चल रहा है..?

उत्तर:- बिल्कुल सब बढ़िया चल रहा है। अगर ठीक नहीं चल रहा होता तो हम बिहार की सबसे बड़ी ताक़त कैसे बन सकते थे।

प्रश्न:- तेजप्रताप यादव के साथ क्या विवाद है?

उत्तर:- देखिए, हम इस तरह के सवालों का जवाब नहीं दे सकते। हमने पहले ही आपसे कहा था कि हमसे इस तरह का प्रश्न न करिएगा, तभी बात करेंगे और आप वहां प्रश्न पूछ लिए।

प्रश्न:- अच्छा, यह बता सकते हैं कि आपने लालू यादव के साथ काम किया है और अब उनके बेटों के साथ कर रहे हैं, पीढ़ीगत बदलाव के बीच क्या फर्क महसूस करते हैं?

उत्तर:- हम तब भी आरजेडी के नेतृत्व के साथ थे, आज भी आरजेडी के नेतृत्व के साथ हैं। हम तेजस्वी यादव के साथ इसलिए नहीं है कि वह लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं बल्कि इसलिए साथ ही हैं कि वह बिहार के नेता बन चुके हैं। वह उस पार्टी के नेता हैं, जिसे मैंने स्थापित किया था। पार्टी नेता में उन्होंने अपनी स्वीकार्यता उन दलों तक बढ़ाई है, जो लालू जी के नेतृत्व में भी नहीं हुआ था।

प्रश्न:- पिछले दिनों ऐसी चर्चा रही है कि आप पार्टी से कुछ नाराज़ चल रहे है..?

उत्तर:- नाराज़ तो बच्चा होता है, बाप या बुजुर्ग किससे नाराज़ होंगें? मैं तो अध्यक्ष हूं। अध्यक्ष से भले कोई नाराज़ हो गए, लेकिन अध्यक्ष किससे नाराज़ होगा? आरजेडी का जो संविध‌ान है, उसमें हमसे ऊपर केवल लालू प्रसाद यादव हैं और कोई नहीं। लालू प्रसाद का हमारा तब से साथ है, जब वह नेता नहीं थे। न मैं 74 की उपज हूं और न ही 90 की। बिहार की राजनीति में छात्र नेता के रूप में मेरी शुरुआत सन् 62-63 की है। रूटलैस नहीं हूं। एक बात यह भी जान लीजिए कि मैं लोहिया का शिष्य हूं। राजनारायण, जनेश्वर मिश्र मेरे कमरे में आया करते थे। ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि जिन लोगों को मेरा बैकग्राउंड न पता हो, वह जान लें।

प्रश्न:- अच्छी बात है आप नाराज़ नहीं है। यह बताइए कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश और तेजस्वी के साथ साथ पीएम से मिलने को किस रूप में देखा जाए..?

उत्तर:- एक महत्वपूर्ण फर्क को समझिए। नीतीश कुमार के कहने पर तेजस्वी प्रधानमंत्री के यहां नहीं गए, बल्कि तेजस्वी के कहने पर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के यहां गए। जुलाई में तेजस्वी यादव ने प्रस्ताव पेश किया था कि विधानसभा का एक सर्वदलीय शिष्टमंडल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिलकर उनके समक्ष अपनी मांग रखे। अगर प्रधानमंत्री इसमें असमर्थता व्यक्त करते हैं, तो राज्य सरकार सभी जातियों की जनगणना करे, जैसे कर्नाटक ने कुछ समय पहले किया था।

प्रश्न:- क्या आरजेडी और जेडीयू के बीच दूरी कम हो रही है?

उत्तर:- हमारी दूरी उनके साथ कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है, जो किसी फासिस्ट पार्टी को अपना सहयोगी बनाकर चल रहे हों, जनमत के साथ धोखा किए हों। हमारी पार्टी में भी कोई नीतीश के साथ गठबंधन करने का पक्षधर नहीं था। मैंने लालू यादव को नीतीश के साथ गठबंधन करने के लिए राज़ी किया था इसलिए कि भाजपा का मुक़ाबला करने के लिए समाजवादी ताक़तों का एक होना और मज़बूत होना ज़रूरी है। बाद में एहसास हुआ कि नीतीश अब समाजवादी नहीं रहे, सत्ता के लिए किसी से भी हाथ मिला सकते हैं।

प्रश्न:- बिहार से ऐसी ख़बरें आती रहती हैं, कि जेडीयू- भाजपा के बीच सब कुछ सहज नहीं है, अगर कभी दोनों के रास्ते अलग हुए तो आप लोगों का क्या निर्णय होगा?

उत्तर:- पिछली बार हमने नीतीश को महागठबंधन में लिया था, उनका नेतृत्व स्वीकार किया था हालांकि सीटें हमारी ज़्यादा आईं, लेकिन हमने अपना वादा पूरा किया। भाजपा के ख़िलाफ़ जो भी महागठबंधन में आना चाहेगा, उसके लिए दरवाज़ा खुला है। लेकिन नीतीश के लिए एंट्री की एक शर्त है, इस बार उन्हें तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार करना हो वर्ना नो एंट्री।□□

जलवायु संकट और हमारी तैयारी

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) के बारे में ऐसा क्या है कि वह हमेशा विवादों में रहती है, जिसके चलते इसे भ्रष्टाचार सांठ- गांठ और सुविधा का केन्द्रीय ब्यूरो या प्रधानमंत्री द्वारा नियुकत जांच का षड्यंत्र ब्यूरो के उपनाम दिए जाते रहे हैं।

इस क्रम में समाचार पत्रों में मद्रास उच्च न्यायालय का एक उल्लेखनीय निर्णय कहीं खो सा गया है, जिसमें सी.बी.आई. को स्वायत्तता और स्वतंत्रता देने के लिए कहा गया है और इसे सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण से स्वतंत्र करने की बात कही गई है ताकि एक स्वतंत्र सांविधानिक निकाय बन सके जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी हो।

मई 2013 में उच्चतम न्यायालय ने यू.पी.ए. सरकार से संबंधित कोयला घोटाले मामले की सुनवाई के दौरान सी.बी.आई. को पिंजरे में बंद तोता कहा था, जो अपने राजनीतिक आक़ाओं की आवाज़ बन गया है। स्पष्ट है कि इस आदेश से मोदी सरकार पर एक ज़िम्मेदारी आ गई है जो बार-बार शासन में पारदर्शिता लाने की बात कहती है किन्तु अब

महत्वपूर्ण यह है कि क्या केन्द्र सरकार विशेषकर हमारा राजनीतिक आक़ा प्रधानमंत्री कार्यालय सोचता है कि जो निष्ठावान और विश्वास पात्र है उसे ही इस एजेंसी में नियुक्त किया जाए। हैरानी की बात यह है कि देश के विभिन्न न्यायालयों में सांसदों और विधायकों के विरुद्ध 1300 से अधिक मामले लंबित पड़े हुए हैं, जिनमें सी.बी. आई. द्वारा जांच के मामले भी शामिल हैं।

तक उसने सी.बी.आई. को स्वतंत्र बनाने की दिशा में कोई क़दम नहीं उठाया, ताकि उसे अपने आक़ाओं की आवाज़ बनने और शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोका जा सके।

हर सरकार ने इस एजेंसी का इस्तेमाल अपने हितों को साधने के लिए किया है। यह एजेंसी एक ऐसा दंतविहीन बाघ बन गया है जिसका उपयोग मित्रों को सहायता पहुंचाने और विरोधियों के साथ हिसाब चुकता करने, क्लीन चिट देने, राजनीतिक लीपापोती करने, क़ानून तोड़न वालों को कानून प्रवर्तक बनाने, अपराध और भ्रष्टाचार को वैध ठहराने के लिए किया जाता रहा है। इसलिए भ्रष्टाचार को समाप्त करने में इसकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर गंभीर संदेह पैदा होता रहा है।

इसके गुण-अवगुण व जांच करने के कौशल महत्वपूर्ण नहीं हैं। महत्वपूर्ण यह है कि क्या केन्द्र सरकार विशेषकर हमारा राजनीतिक आक़ा प्रधानमंत्री कार्यालय सोचता है कि जो निष्ठावान और विश्वास पात्र है उसे ही इस एजेंसी में नियुक्त किया जाए।

हैरानी की बात यह है कि देश के विभिन्न न्यायालयों में सांसदों और विधायकों के विरुद्ध 1300 से अधिक मामले लंबित पड़े हुए हैं, जिनमें सी.बी.आई. द्वारा जांच के मामले भी शामिल हैं। इससे सी.बी.आई. की प्रतिष्ठा और ख़राब हुई है क्योंकि वह आरोपों के समर्थन में अपेक्षित साक्ष्य जुटाने में विफल रही है।

दो मामले उल्लेखनीय है – सपा के मुलायम सिंह और बसपा की मायावती के मामले। जब कभी सरकार चाहे वह कांग्रेस की यूपीए हो या भाजपा की राजग, उन पर दबाव डालना चाहती है तो उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामलों को आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है और जब वे सरकार की बातें मान लेते हैं तो इन मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसी तरह वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम का मामला है, जिन्होंने भाजपा पर राजनीतिक विद्वेष का आरोप लगाया और कहा है कि उनके विरुद्ध मामले राजनीतिक कारणों से प्रेरित हैं ताकि वह चुप रहें। किन्तु इस सब शोर शराबे के बीच यह बात कहीं छुप सी गई है कि वह भ्रष्टाचार के आरोपी हैं।

कुछ समय पूर्व सी.बी.आई. के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच विवाद का कारण पृष्ठभूमि में राजनीतिक माई-बाप रहे हैं, जिसके चलते इस मामले में उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा और पूर्व निदेशक को त्यागपत्र देना पड़ा। दूसरा मामला फरवरी में सी. बी.आई. और कोलकाता पुलिस के बीच विवाद का है। यह एक खुले रहस्य को रेखांकित करता है कि आज क़ानून के रखवाले और उसे लागू करने वाले हर बात के साथ समझौता कर लेते हैं और व्यवस्था में इतनी विकृति आ गई है कि कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता। इसके अलावा सी.बी.आई. के कार्यकरण के संबंध में भी अनेक समस्याएं हैं। दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, अधिनियम 1946 के अनुसार सी.बी.आई. राज्यों में केवल तभी अपराधों की जांच कर सकती है जब राज्य सरकार इसकी अनुमति दे। हालांकि दांडित क़ानून और प्रक्रिया समवर्ती सूचि में हैं किन्तु पुलिस व्यवस्था और पुलिस राज्य के सूचि के विषय है।

महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल ने कुछ समय पूर्व अपने राज्यों में सी.बी.आई. जांच के लिए सामान्य अनुमति को वापस ले लिया, जिसके चलते उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे जांच सी.बी.आई. को अंतरित करें। इस तरह राज्यों की अनुमति निष्प्रभावी सो गई, जिसके चलते केन्द्र और राज्यों में टकराव भी बढ़ा है।

सवाल उठता है कि क्या सी.बी. आई. को उससे कहीं अधिक दोष दिया जाता है जितना कि वह दोषी है या चोर-चोर मौसेरे भाई हैं। सच्चाई दोनों के बीच की है। सी.बी.आई. और सरकार अपने-अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य करते हुए जिसमें सी.बी.आई और सरकार के साथ सुरक्षित चलते हुए अवसरवादी नीति अपनाती है और उसके अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के कारण अपने माई-बाप की इच्छानुसार कार्य करते हैं।

साथ ही सी.बी.आई. में कम योग्य और अक्षम कर्मचारी भी हैं जिसमें 01 प्रतिशत कार्यकारी रैंक के, 2837 प्रतिशत क़ानून अधिकारी और 56.17 प्रतिशत तकनीकी पद ख़ाली पड़े हुए हैं। व्यवस्थागत मुद्दे इस बात का संकेत देते हैं कि संस्थागत प्रचालन, संगठनात्मक डिजाइन और कार्य संस्कृति में मेल नहीं है। दोष सिद्धि बहुत कम होती है। व्यापम घोटाला एक इतिहास बन कर रह गया। 2-जी घोटाले में आरोपी दोषमुक्त हो गए हैं। चिदंबरम का एयरसैल मैक्सिम मामला बड़ी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है।

इस समस्या का समाधान क्या है? सबसे पहले सी.बी.आई. के निदेशक को सरकार के सचिव की तरह शक्तियां दी जानी चाहिएं जो कार्मिक विभाग की बजाय सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करें। सी.बी. आई. के लिए अलग बजट आबंटन किया जाना चाहिए साथ ही उसके कार्यो का चार्टर, उन मामलों की सूचि जिनकी वह जांच कर सकती है।

महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल ने कुछ समय पूर्व अपने राज्यों में सी.बी.आई. जांच के लिए सामान्य अनुमति को वापस ले लिया, जिसके चलते उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे जांच सी.बी.आई. को अंतरित करे। इस तरह राज्यों की अनुमति निष्प्रभावी हो गई, जिसके चलते केन्द्र और राज्यों में टकराव भी बढ़ा है।

एजेंसी को अमेरिका की एफ. बी.आई. और ब्रिटेन की स्कॉलैंड यार्ड के समान आधुनिक सुविधाएं दी जानी चाहिएं। ऐसे मामलों का ब्यौरा सी.बी.आई. निदेशक द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के महापंजीकार को बताया जाना चाहिए जिनमें सी. बी.आई. द्वारा एक वर्ष से अधिक समय पूर्व आरोप पत्र दायर कर दिए गए हैं किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उसमें आरोप निर्धारित नहीं किए गए। इसके अलावा सी.बी.आई. को अपने ढांचे को पुनर्गठित करना होगा और इसमें 734 अतिरिक्त पद सृजित करने होंगे क्योंकि जांच करने के लिए उसके पास जनशक्ति, धन और सुविधाओं का अभाव है। देखना यह है कि क्या प्रधानमंत्री राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाकर सी.बी.आई. को स्वतंत्र करते और इस तरह अपने विरोधियों को चौंकाते है कि नहीं। न्यायालय ने राह दिखा दी है अब गेंद सरकार के पाले में है। ◻◻

रोज़गार ....

'आई॰ टी॰' के क्षेत्र में है रोज़गार के बेशुमार अवसर

सूचना प्रौद्योगिकी यानि इंफोमेशन टेक्नोलॉजी (आई.टी.) के क्षेत्र में हुई क्रांति का प्रभाव चारों ओर दिखाई देता है। आज दुष्कर कार्यो को भी सूचना प्रौद्योगिकी ने सर्वसुलभ एवं सरल बना दिया है। यह धारणा कि कम्प्यूटरों के कारणा रोज़गार के अवसर कम हुए हैं पूरी तरह सही नहीं है। इस क्षेत्र से जुड़े कुछ नये रोज़गारों के अवसरों के बारे में हम यहां कुछ जानकारी सांझा कर रहे हैं।

मेडीकल ट्रांसक्रिप्शन

कंप्यूटर क्रांति के द्वारा जनित रोज़गारों में सबसे महत्वपूर्ण है मेडीकल ट्रांसक्रिप्शन। इस क्षेत्र में रोज़गार हेतु अंग्रेजी का ज्ञान तथा कम्प्यूटर एवं सामान्य ज्ञान में निपुण होना ही विशेष योग्यता है। इस कोर्स के लिए अतिरिक्त योग्यताओं में अमरीकी उच्चारण एवं चिकित्सीय शब्दावली को समझने की क्षमता होना है।

पश्चिमी देशों में प्रत्येक मेडिकल डॉक्टर को इलाज के बारे में पूर्ण रिकॉर्ड रखना क़ानूनन जरूरी है परंतु उनके पास समय का अभाव होने के कारण वे किसी व्यक्ति या संस्था की मदद से डिक्टोफोन द्वारा यह रिकॉर्ड टाइप करवाकर सुरक्षित रख लेते हैं। इस रिकॉर्ड में मरीज़ के इलाज से संबंधित सभी जानकारियां होती हैं जिन्हें भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके।

मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कार्य में उम्र या विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है। आजकल बड़े शहरों में मेडीकल ट्रांसक्रिप्शन सिखाने हेतु कई संस्थाए हैं।

भारत में इसके कुछ प्रमुख प्रशिक्षण केन्द्र हैं :-

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल ट्रांसक्रिप्शन, नई दिल्ली।

मनिपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन मनिपाल।

पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ (पंजाब) आदि।

बायोइन्फोरमैटिक्स

कप्यूटर पर आधारित नये कैरियर क्षेत्रों में बायोइन्फोरमैटिक्स का विस्तार तेजी से हो रहा है। जीव विज्ञान के क्षेत्र की सूचनाओं के अनुप्रयोग विशेषकर हयूमन जीनोम तथा अनुवांशिकी के नवीन अनुसंधानों ने ही वस्तुत: बायोइन्फोरमैटिक्स को जन्म दिया है।

सामान्यत: इस क्षेत्र में जैविक विज्ञान एवं कम्प्यूटर में दक्षता प्राप्त व्यक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं।

आज देश-विदेश की कई प्रमुख बायोटैक कंपनियों व शोध संस्थानाओं में ऐसे लोगों की बड़ी मांग है जिन्हें बायोलॉजी एवं बायोइन्फोरमैटिक्स टेक्नोलॉजी अर्थात बायोइन्फोरमैटिक्स का ज्ञान हो।

आनुवांशिकी क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के जीनोम पर अनुसंधान तथा मानव के 24 क्रोमोसोम्स की सिक्वैंसिंग के लिए हयूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर किए जा रहे शोध आदि के लिए भविष्य में इस क्षेत्र में रोज़गार के प्रचुर अवसर उपलब्ध होंगे।

भारत में इसके कुछ प्रमुख प्रशिक्षण केन्द्र हैं :-

मदुरै कामराज विश्वविद्यालय मदुरै।

बायोटैक्नालॉजी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

इंस्टीटयूट ऑफ माइक्रोवियल टैक्नोलॉजी चंडीगढ़।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली।

सेंटर फॉर सैल्यूलर एंड मॉलीक्यूलर बायोलॉजी नई दिल्ली। ◻◻

इस्लामी दुनिया

इजराईली सेना का गाज़ा पर हवाई हमला

इजराईली सेना के लड़ाकू विमानों ने गाज़ा पट्टी में खान युनूस की इलाके पर हमले किए, इजराईली सेना के प्रवक्ता ने दावा किया है कि खान युनूस में उस जगह रॉकेट बनाए जाते हैं। सेना प्रवक्ता अफीखाई अदरई ने अपने टवीट में बताया कि इजराईली हमलों में खान युनूस में एक लड़ाकू कैम्प को भी निशाना बनाया गया, फलस्तीनी खबर एजेंसी के अनुसार इजराईली जंगी विमानों ने खान युनूस के पश्चिम में एक जगह पर दो मिजाईल दागे।

स्वदेश लौटे कई सीरियाई शरणार्थियों पर अत्याचार जारी

एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार स्वदेश लौटे कई सीरियाई शरणार्थियों को सीरियाई सुरक्षा बलों ने या तो हिरासत में ले लिया या वे गायब हो गए या उन्हें यातना दी जा रही हैं इससे साबित होता है कि देश के किसी भी हिस्से में लौटना सुरक्षित नहीं है। 'यू आर गोविंद टू यॉर डेथ' (तुम अपनी मौत के लिए जा रहे हो) शीर्षक वाली रपट में मानवाधिकार समूह ने 2017 से 2021 के बीच सीरियाई खुफिया अधिकारियों के अत्याचारों की जानकारी दी।

पाकिस्तान में यूटयूबर से खुलेआम बदसलुकी करने के 155 आरोपी छूटे

पाकिस्तान में एक यूटयूबर लड़की से सार्वजनिक यौन शोषण मामले में स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किए 155 संदिग्धों को रिहा कर दिया हैं इन सभी पर पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर ऐतिहासिक मीनार-ए-पाकिस्तान स्थित आजादी चौक पर लड़की को भीड़ में खींच कर उसका शोषण करने का आरोप था। पुलिस ने उन्हें रिहा करने की वजह बताई है कि लड़की और उसके साथ मौजूद टीम के सदस्यों ने पहचान परेड के दौरान उनकी पहचान नहीं की।

शरीया के दायरे में अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानेंगे : अखुंदजादा

काबुल : अफग़ानिस्तान में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। अफग़ानिस्तान की अंतरिम सरकार में भी ईरान की तर्ज पर सुप्रीम लीडर के तौर पर जगह लेने वाले हैबतुल्ला अखुंदजादा ने अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि तालिबान उन सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, संधियों और प्रतिबद्धताओं को मानें जो इस्लामी कानून (शरीया) के विपरीत नहीं है। अफग़ानिस्तान में केयरटेकर सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है फिलहाल 33 पदों का ऐलान हुआ है। कार्यवाहक सरकार का काम अब एक मजबूत व्यवस्था कायम करना है।

प्रमोद मीणा

भारत में आभासी शिक्षा का संकट

महामारी के दौरान देशभर में एक केन्द्रीकृत नीति के तहत स्कूलों सहित सारे शिक्षा संस्थानों को बंद कर दिया गया। अब तमाम क्षेत्रों में पूर्णबंदी से छूट दिए जाने के बाद भी स्कूलों को खोलने में विशेष एहतियात बरता जा रहा है। महामारी पर नियंत्रण की दृष्टि से तो यह उचित हो सकता है, लेकिन इस स्कूलबंदी से सुविधा सम्पन्न और हाशिए के बच्चों के बीच पहले से मौजूद शैक्षणिक खाई और चौड़ी हो गई हैं। एक ओर परंपरागत कक्षा अध्यापन के विकल्प के रूप में ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन को शिक्षा के लोकतांत्रिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताकर प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर इसने शिक्षा तक पहुंच के मार्ग में बहुसंख्यक दलित आदिवासी बच्चों के सामने एक नया डिजिटल अवरोध खड़ा कर दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चाक और श्यापट्ट की जगह लेते कंप्यूटर और मोबाईल फोन के कारण अध्यापन प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। लेकिन वंचित तबकों और कमज़ोर पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों के लिए इस बदलाव के क्या मायने हैं, इस पर भी विचार होना ज़रूरी है।

ऐसा नहीं कि कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच रखने वाले संपन्न वर्ग के बच्चों पर आभासी माध्यमों से संचालित होने वाली इस शिक्षा का नकारात्मक असर न पड़ रहा हो। तमाम अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि आभासी शिक्षा परंपरागत विद्यालयी शिक्षा का विकल्प नहीं हो सकती। एक ओर विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालयी शिक्षा नितांत ज़रूरी होती है, वहीं दूसरी ओर ऑन लाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों की समझ का स्तर भी कक्षा में अध्यापक के सामने प्रत्यक्ष रूप से बैठकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों से कम पाया गया हैं स्पष्ट है कि तकनीकी अपने सर्वोत्तम रूप में भी एक सहायक मात्र होती है। यह कक्षा अध्यापन की पूरक नहीं हो सकती। यह भी ध्यातव्य है कि स्कूली शिक्षा में डिजिटल माध्यमों का प्रभावी इस्तेमाल भी वास्तविक अध्यापन कक्ष में ही संभव हो पाता है। स्कूलबंदी के कारण आज हर बच्चा अपनी क्षमता का समुचित प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है।

शिक्षा के जो सामाजिक-मानवीय आयाम होते हैं, उनके मद्देनज़र दूरस्थ आभासी शिक्षा ने शिक्षा के मूल अर्थ को ही पृष्ठभूमि में धकेल दिया है। हम आभासी शिक्षा के नाम पर बच्चों के साथ ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जैसे कि वे खाली बर्तन हों, जिन्हें सूचनाओं और तथ्यों से भर देना है। ऑनलाइन कक्षाओं में देखा गया है कि शिक्षा का प्रायोगिक पहलू भी उपेक्षित रह जाता है। बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास पर हम अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाते। शिक्षण का एक सामान्य सा सिद्धांत है कि बच्चे दूसरों का अनुकरण करते हुए सीखते हैं। कक्षा में शिक्षक वह माहौल मुहैया कराता है जिसमें सहपाठियों के साथ जुट कर बच्चा सहज खेल खेल में चीज़ों को अपने दिमाग़ में उतारता जाता है। कोरोना काल के शैक्षणिक अनुभव बताते हैं कि इंटरनेट आधारित आभासी कक्षाओं में परस्पर जुड़ कर सीखने का सीधा-साधा कार्य भी सम्पन्न नहीं हो पाता।

एक ओर जहां मोबाईल और कम्प्यूटर से वंचित सरकारी स्कूलों के ग़रीब विद्यार्थी वर्ग में आभासी कक्षाएं निष्प्रभावी पाई गई हैं और दूरस्थ आदिवासी इलाकों में इंटरनेट की समुचित उपलब्धता ने जहां इन्हें अर्थहीन साबित किया है, वहीं समृद्ध परिवारों के कुछ बच्चे स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे गैजेटों पर ज़रूरत से ज़्यादा आश्रित बन गए हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त स्क्रीन पर बिताने वाले ऐसे बच्चों में अपेक्षित शारीरिक सामाजिक विकास नहीं हो पाता। स्पष्ट है कि महामारी के दौर में तकनीक ने शैक्षणिक असमानता में गुणात्मक वृद्धि की है। आज भारत में अमीर और ग़रीब की तर्ज़ पर तकनीक संपन्न और तकनीकविहीन लोगों के वर्गीकरण को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के 75वें दौर के आंकड़े इस अंतराल पर मुहर लगाते हैं। इन आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण इलाकों में तो पांच प्रतिशत से भी कम ग्रामीण घरों में कंप्यूटर हैं, जबकि शहरी इलाकों में भी यह आंकड़ा मुश्किल से ही 25 प्रतिशत को छू पाता है। ज़ाहिर है, बहुसंख्यक भारतीयों के पास कंप्यूटर नहीं है और आभासी शिक्षा तक उनकी पहुंच का एकमात्र ज़रिया मोबाईल फोन ही है। पूर्णबंदी में रोज़गार छिनने और आय में आई भारी गिरावट के चलते एक बड़ा तबक़ा ऐसा भी है जो अपने मोबाईल फोनों को इंटरनेट के लिए डाटा नहीं खरीद पा रहा है। केरल जैसे एकाध राज्य को छोड़कर ग़रीब बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा हेतु आधारभूत डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में भी प्रायः काम नहीं हो रहा है।

महामारी काल में बेरोज़गारी और विस्थापन का जो दौर चला, उसके साथ-साथ बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में इज़ाफा हुआ। यह नहीं भूलना चाहिए कि स्कूल सिर्फ शिक्षा देने का काम नहीं करते, अपितु वे ऐसे बच्चों के लिए सुरक्षा कवच का काम भी करते हैं जिनका पारिवारिक और सामाजिक परिवेश उनके लिए असुरक्षित होता है। स्कूलबंदी का निहितार्थ इन बच्चों के लिए उस कवच का छिन जाना है। भयानक ग़रीबी में फंस चुके इनके माता पिता इन्हें अतिरिक्त आय के लिए घरेलू नौकर या खेत मज़दूर बनने की दिशा में धकेल सकते हैं। स्कूल का साथ छूटने से बाल विवाह और बाल तस्करी के दलदल में भी इनके फंसने की आशंका रहती है।

अब जब धीरे-धीरे देश में स्कूल खुलने लगे हैं तब स्कूलबंदी के दौरान पैदा हुए शैक्षणिक अंतराल को पाटने की दिशा में विशेष प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। जैसे-तैसे पाठयक्रम पूरा कर देने और परीक्षाओं के आयोजन की कवायद से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने वाले। विषयवार हुई क्षति का मूल्यांकन करते हुए पाठयक्रम के समायोजन की दिशा में अविलंब कदम उठाने की ज़रूरत है। स्कूलों में विभिन्न स्तरों पर सतत् और व्यापक मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना होगा। बच्चों ने अभी तक क्या सीखा और कहां उन्हें समस्याएं आ रही हैं, इसका मूल्यांकन होना चाहिए। इस काम में शिक्षकों को छूट दी जानी चाहिए। लंबि बड़े मूल्यांकन सुधारों को लागू करने का भी अब वक्त? आ गया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनज़र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में विशेष क़दम उठाने की ज़रूरत है, ताकि पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को वापस स्कूल तक लाया जा सके जिससे आगे की पढ़ाई बाधित न हो। स्वाध्याय के लिए शैक्षणिक सामग्री का विकास करना और उन्हें विद्यार्थियों के बीच वितरित करना इस दिशा में एक बड़ी पहल हो सकती हे। विद्यालय बंद रहने की स्थिति में भी बच्चे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुफ्त इंटरनेट के साथ कंप्यूटर आदि का वितरण और उनके प्रयोग हेतु प्रशिक्षण भी अपेक्षित है।

लेकिन स्कूली शिक्षा की दिशा में कोई भी बदलाव और सुधार तब तक संभव नहीं है जब तक हम इस हक़ीक़त को स्वीकार न करें कि महामारी ने स्कूली शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक असर डाला है। हमें पहले मानना होगा कि हाशिए के बच्चों को अपने साथी सहपाठियों से इसने इतना पीछे धकेल दिया है कि शायद बराबरी करना अब उनके लिए संभव न हो पाए। अबर हम इस शैक्षणिक अंतराल को पाटने की दिशा में योजनाबद्ध ढंग से अविलंब कार्य शुरू नहीं करते हैं तो यह अंतर बढ़ता ही जाएगा। ❑❑

बनिएं स्मार्ट 'बॉस'

यदि आप स्वयं ऑफिस के मालिक है तो ऑफिस में आप तहज़ीब से पेश आएं तथा ऑफिस के तौर तरीक़ों का पालन करें तभी आप सफलता को आकर्षित कर पाएंगे। इसके लिए इन तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पत्राचार आदि नियमित रखें, पत्रों का जवाब देने में ज़्यादा वक्त न लगाएं। ई-मेल और अन्य तरीकों से तुरंत सवाल-जवाब भेजें। ऑफिस में समय से आएं और जाएं। जब आप समय के पाबंद रहेंगे तो सभी कर्मचारी भी समय से आंगे और ऑफिस का अनुशासन बना रहेगा।

जब भी मीटिंग बुलाएं, उसे सही समय पर ही शुरू करें, और तय समय पर समाप्त कर दें बशर्ते कोई खास टॉपिक न आ गया हो। टेबल वर्क को रोज़ ही पूरा कीजिए, यदि रोज़ का कार्य रोज पूरा नहीं होगा तो पैंडिंग वर्क ज़्यादा जो आपके लिए सिरदर्द होगा।

रोज़ाना ऑफिस में पहुंचते ही उस दिन के के तमाम कार्य को बांट लें। अपनी ज़िम्मेदारियां अपने कंधों पर लें तथा शेष कार्य दूसरों को सौंपें। हर कार्य स्वयं करने की कोशिश न करें। इससे अव्यवस्था बनेगी और आप दिमाग़ी तौर पर परेशानी में उलझे रहेंगे। ऑफिस में अपना समय इस प्रकार व्यवस्थित करें कि काम के साथ अपाइंटमेंट जिन लोगों को दिया है आपने उनको टाइम पर मिल कर चर्चा करें, और उचित टाइम देकर संबंधित व्यक्ति को उस के लिए परामर्श देकर व्यक्ति को मुतमईन करें।

इन कुछ टिप्स को अगर आप ऑनर होने के नाते फॉलो करोगे तो आपके वर्करों का इन बातों का सकारात्मक प्रभाव जाएगा और वे भी अपना काम पूरी क्षमता और तत्परता से करेंगे।

सहिष्णुता हमारी ताक़त रही है हिंसा नहीं

—अजय शुक्ल

दिसंबर 2015 को साबरमती आश्रम में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कहा था, कि गंदगी सड़कों पर नहीं, हमारे दिमाग़ में है। गंदगी उन विचारों में है, जो समाज को 'उनके' और 'हमारे', 'शुद्ध' और 'अशुद्ध' के बीच बांट देते हैं। महात्मा गांधी ने एक समावेशी राष्ट्र की कल्पना की थी। जहां हर वर्ग समानता के साथ रह सके। उसे समान अधिकार हों। हम रोज़ अपने चारों ओर अभूतपूर्व हिंसा होते देखते हैं। इस हिंसा के मूल में अंधेरा, डर और अविश्वास है। प्रणव दा के शब्द छह वर्ष बाद साकार रूप से सामने हैं।

हिंसा ही हमें तालिबानी और जेहादी संस्कृति में बदल देती है। पिछले दिनों इंदौर में चूड़ी बेचने वाले युवक के साथ जो हुआ, वह सभ्य समाज की संस्कृति नहीं है। कानपुर में रिक्शा वाले के साथ जो अमानवीयता हुई, वह भी किसी हालत में जायज़ नहीं ठहराई जा सकती है। हम उस देश के वासी हैं, जिसमें तमाम संस्कृतियों और धर्मों का आगमन हुआ है। हमने सभी को गले लगाया मगर किसी पर धर्म संस्कृति के नाम पर हमला नहीं किया। तभी हम विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है। हम प्रकृति पूजक समाज का हिस्सा रहे हैं। प्रकृति की संरचना को बर्बाद करने वाले कभी नहीं रहे। यह बात हमारे वेदों से समझी जा सकती है।

हमारा देश न सिर्फ धार्मिक बल्कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधताओं से भरा है। जहां सहिष्णुता उसकी शक्ति रहा है, जिसने देश को समृद्ध किया है। यही कारण है कि जब देश आज़ादी के जोश जश्न में डूबा था, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिल्ली से दूर, उन सांप्रदायिक दंगों को रोकने में लगे थे, जिन्होंने लाखों ज़िन्दगियां बर्बाद कर दी थीं। प्राचीन भारत से स्वतंत्रता आंदोलन तक के इतिहास से भी यही सिद्ध होता है कि हमारा राष्ट्रवाद 'वसुधैव कुटुम्बकम' और 'सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे निरामया' जैसे विचारों पर आधारित है। असहिष्णुता और नफ़रत से हमारी राष्ट्रीयता कमज़ोर होती है। राष्ट्र की अवधारणा को समझने के लिए बालगंगाधर तिलक और पंडित जवाहर लाल नेहरू के विचारों को पढ़ना और समझना चाहिए। हमारा राष्ट्रवाद किसी क्षेत्र, भाषा या धर्म से बंधा नहीं है। विश्व में धर्म भी दो तरह के हैं, कर्म प्रधान और विश्वास प्रधान। यही कारण है कि सनातनी लोगों को निज विश्वास के आधार पर ईश्वर, देवी देवताओं को मानने या न मानने का पूर्ण अधिकार है, जबकि असनातनी धर्मों में ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। बावजूद इसके अगर कोई आपको किसी देवी देवता की पूजा जयकारे लगाने के लिए बाध्य करता है, तो वह न तो स्वयं सनातनी है और उनका संरक्षक।

यह आचरण हमारे धर्म के मूल सिद्धांत के ही विरुद्ध है। भाजपा की महिला शाखा ने देश के विभिन्न हिस्सों में अफ़ग़ानिस्तान में महिलाओं के साथ हो रही ज़्यादतियों के लिए प्रदर्शन किया। उसी दौरान 20 अगस्त को एक अफ़ग़ानी महिला सांसद रंगीना करगर को नई दिल्ली से इस्तांबुल भेज दिया गया। उनके पास राजनयिक पासपोर्ट था, जो उन्हें बिना वीजा के यात्रा करने की अनुमति देता हैं इस कठिन समय में साथ न देने पर उनके मन में नाराज़गी थी। उन्होंने टिप्पणी की, कि महात्मा गांधी के देश से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह इस बात पर अचंभित थीं कि इस बार भारत ने उन्हे प्रवेश देने से इंकार कर दिया। उन्होंने अगले दिन मैक्स अस्पताल में इलाज के लिए अपांइटमेंट लिया था। हम देख रहे हैं कि समाज में वैचारिक शून्यता बढ़ रही है।

उच्च शैक्षिक संस्थानों में अब वैचारिक चर्चाएं ठप्प सी हो गई है। उन पर चर्चाओं को कभी राष्ट्रवाद के नाम पर, तो कभी देशद्रोह के नाम पर, दबाया जाता है। गीतांजलि में रविंद्रनाथ ने लिखा है कि 'हो चित्त जहां भय शून्य, माथ हो उन्नतम, हो ज्ञान जहां पर मुक्त, खुला यह जग हो घर की दीवारें बने न कोई कारा।' निश्चित रूप से उच्च शैक्षिक संस्थानों और घरों में निच्छल मुक्त विचार मंथन होने चाहिये। जब उन स्वच्छंद चर्चाओं पर विराम लगता है, तो ज्ञान बाधित होता है। यह विचारधारा ही फांसीवाद कहलाती है, जो हमें अहसिष्णुता की ओर ले जाती है। वैचारिक रूप से समृद्ध होने के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं को भय, अविश्वास और अज्ञानता से दूर, खुल चर्चाओं विचारों आलोचनाओं के लिए स्वतंत्र रखना चाहिए। हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि एक धर्म विशेष के लोगों पर हमले आम सी बात हो गई हे।

अब जातिगत हमले भी बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में दलित जाति के एक व्यक्ति के शव को पिछड़ी जाति के लोगों ने शमशान में अन्तिम संस्कार करने से रोक दिया। जातिगत भेदभाव के नाम पर जब पिछड़ी जातियां आरक्षण लेती हैं, तब भी अगर वह दलितों के साथ ऐसा करें, तो उसे असहिष्णुता के सिवाय और क्या संज्ञा दी जाये। इन सब पर चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम तालिबान और दूसरे जेहादी संगठनों को कठघरे में खड़ा करने में देरी नहीं करते मगर जब हमारे देश में इसी तरह की संस्कृति अपनाई जाती है, तब मौन साध लेते हैं। यूपी के मुज़फ्फर नगर में क्षत्रिय पंचायतों ने फरमान जारी किया कि लड़कियां जींस-टॉप नहीं पहन सकेंगी। इस फरमान के बाद भी सरकार ने कोई क़दम नहीं उठाया। देवरिया में 16 वर्ष की लड़की को उसके चाचा और दादा ने पीट-पीट कर मार डाला क्योंकि लड़की मना करने के बाद भी, जींस पहनने की ग़लती कर बैठी। दिल्ली दो अलग अलग घटनाओं में दलित बच्चियाँ बलात्कार का शिकार हुईं।

पुलिस ने सबूत मिटाने के लिए मनमानी अन्तिम संस्कार करवा दिया। क्या ऐसी ही घटनायें किसी कुलीन परिवार की बच्ची से होती, तब भी पुलिस यूं ही करती? शायद कभी नहीं। ऐसा करते समय न तो पुलिसकर्मियों में सहिष्णुता दिखी और न सरकार में अपराधबोध। सरकार घटनाओं की निंदा करने के बजाय सच बोलने वाले विपक्षी नेताओं को निशाने पर लेने में लगी रही। अफ़ग़ानिस्तान या ईरान ईराक की ज़्यादतियों पर चर्चा करने से पहले ज़रूरी है हम आत्मवलोकन करें। हमें देखना चाहिए कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कहीं हम हिंदू कट्टरपंथी तो पैदा नहीं कर रहे हैं?

धर्मांतरण क़ानून के ज़रिए सरकार उस कट्टरपंथ को प्राश्रय दे रही है, जो हमें असहिष्णु बनाता है। दिल्ली में एक कर्तव्यनिष्ठ एसएचओ को सिर्फ इसलिए सज़ा दे दी गई, क्योंकि वह कट्टपंथी हिन्दूवादियों की ग़ैरकानूनी हरकतों का विरोध कर रहा था। हम गांधी-नेहरू के बनाय देश में रहते हैं। उनके आदर्शों पर चलकर ही, हम आज विश्व में एक सम्मानजनक स्थान पा सकते है।

अगर हम उनकी नीतियों से किनारा करके असहिष्णुता और हिंसा की राह अपनाएंगे, तो तय है कि हम भी तालिबानियों की तरह हो जाएंगे। ज़रूरत इस विषय पर चिंतन और चर्चा की हैं कोई धर्म किसी दूसरे धर्म को ख़त्म नहीं कर सकता, जब तक कि उसको मानने वाले अपने मूल सिद्धांतों से न भटकें। आज हम दूसरे असहिष्णुता वाले कट्टपंथियों के प्रभाव में अपनी वैदिक रीति-रिवाज़ से भटक रहे हैं, जो हमारी धर्म संस्कृति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ज़रूरी है कि हम मानवता और नैतिकता के धर्म को अपनायें, हिंसा को नहीं।

चीन में 03 बच्चे पैदा करने वालों को मिलेंगी कई तरह की छूट

चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने चाइल्ड पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। चीन ने अब थ्री चाइल्ड पॉलिसी को मंज़ूरी दे गई है। यानि, चीन के लोग अब तीन बच्चे तक पैदा कर सकते हैं। सरकार ने कहा है कि वो तीन बच्चे पैदा करने वालों को विशेष आर्थिक प्रोत्साहन भी देगी।

चीन में लंबे समय से चाइल्ड पॉलिसी में बदलाव की मांग उठ रही थी। अपनी सख़्त वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से दुनियाभर में चीन की आलोचना भी होती रही है। इसी वजह से चीन ने 2016 में वन चाइल्ड की जगह टू-चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी। अब इसमें फिर से बदलाव किया गया है। समझते हैं कि चीन की थ्री चाइड पॉलिसी क्या है? चीन को ये फैसला क्यों लेना पड़ा? क्या भारत में भी जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी की ज़रूरत है।

चीन की सरकार ने 20 अगस्त को 3 बच्चे के पैदा करने की पॉलिसी को मंज़ूरी दे दी। यानि, अब चीन के लोग तीन बच्चे पैदा कर सकेंगे। इसी वर्ष मई में सत्तारुढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने दो बच्चों की नीति में छूट देते हुए सभी अभिभावक को तीन बच्चे पैदा करने की अनुमति दी थी। 20 अगस्त को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी ने इस नीति को पास कर दिया है।

साथ ही पैरेंट्स ज़्यादा बच्चे पैदा करें, इसलिए सरकार ने लोगों को आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। इस नए बिल में सरकार फाइनेंस, टैक्स, इंश्योरेंस, एजूकेशन, हाउसिंग और नौकरी जैसे कई क्षेत्रों में पैरेंट्स की मदद भी करेगी ताकि पैरेंट्स पर बच्चों की परवरिश का ज़्यादा आर्थिक बोझ न पड़े।

देश में घटती युवा आबादी और बढ़ती बुज़ुर्ग आबादी वन चाइल्ड पॉलिसी लागू करने के बाद चीन में 60 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोगों की आबादी 26 करोड़ से भी अधिक हो गई है। अगले 10 वर्ष में चीन की करीब एक चौथाई आबादी 65 वर्ष से ज़्यादा आयु की होगी। देश में बुज़ुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इससे चीन के पास काम करने वाले युवाओं की कमी हो गई है। इस संकट से निपटने के लिए चीन को रिटायरमेंट की आयु को बढ़ाना पड़ा है, ताकि काम करने वाले लोगों की कमी न हो। इसी तरह चीन में काम करने वाली युवा आबादी लगातार कम हो रही है। 2010 तक चीन में 15-59 साल तक के आयु की आबादी 70 प्रतिशत से ज़्यादा थी, जो 2020 में 63.4 प्रतिशत ही रह गई है।

दुनिया के बड़े देशों में चीन की जन्मदर सबसे कम है और ये आंकड़ा

बाक़ी पेज 11 पर

ख़ास ख़बरें

घूसखोरी में जापान के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी को जेल

टोक्यो: टोक्यो की एक जिला अदालत ने देश के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी को रिश्वतखोरी के जुर्म में चार वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई। उसने यह रिश्वत एक चीनी जुआं कंपनी से ली थी। इस कार्रवाई को जापान के पद छोड़ रहे प्रधानमंत्री की पार्टी के लिए चुनाव से पहले चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। यह अधिकारी सुकासा अकिमोटो पर्यटन व कसीनो प्रमोशन विभाग में उपमंत्री थे। उन्होंने जुआ कंपनी से 51 लाख रुपये की रिश्वत ली थी।

अजबक स्कूलों में छात्राओं को हिजाब पहनने की छूट

ताशकंद : शिक्षा मंत्री अजबेकिस्तान ने कहा है कि अभिभावकों की अपील के बाद अधिकारियों ने कौमी स्कार्फ और सर को सफेद या हलके रंग के कपड़े से ढंकने की इजाज़त देने के इरादा किया है। उन्होंने कहा कि यह क़दम हर बच्चे के सेकुलर तालीम के प्राप्ति को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी था। शिक्षा मंत्री के पेशकरदा हिजाब की शुरुआत रूप से ज़ाहिर है कि स्कूल छात्रा अपनी थूड़ी नहीं छुपा सकती जैसे हिजाब में छुप जाता है, सर का ढांकना इस्लामी दुनिया में ज़रूरी है।

म्यांमा में सैन्य शासन के ख़िलाफ़ राष्ट्रव्यापी विद्रोह का आहवान

बैंकाक : म्यांमा में सैन्य शासन के ख़िलाफ़ प्रतिरोध का समन्वय करने वाले भूमिगत राष्ट्रीय एका सरकार ने राष्ट्रव्यापी विद्रोह का आहवान किया। भूमिगत सरकार के कार्यकारी प्रमुख दुवा लाशि ला ने पूरे देश के प्रत्येक गांव, कस्बे और शहर में सैन्य सरकार के ख़िलाफ़ एक ही समय में विद्रोह करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने तथाकथित आपातकाल की भी घोषणा की है। उनके भाषण का वीडियो फेसबुक पर पोस्ट की गई। म्यांमा की सेना ने फरवरी में आंग सान सू की सरकार का तख़्तापलट कर सत्ता अपने हाथ में ले रखी है।

नेपाल ने महाकाली नदी की घटना पर भारत को भेजा राजनयिक नोट

काठमांडो : नेपाल ने पिछले दिनों महाकाली नदी में एक नेपाली के गायब होने के मामले में भारत सरकार को राजनयिक नोट भेजा है। नेपाल का कहना है कि भारतीय अर्धसैनिक बल सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की मौजूदगी में वह घटना हुई थी। साथ ही कहा कि भारतीय हेलिकाप्टर ने नेपाली वायुक्षेत्र का उल्लंघन किया था। महाकारी नदी नेपाल की पश्चिमी सीमा से भारत की ओर बहती है। नेपाली मीडिया का कहना है कि एसएसबी के जवानों ने कथित रूप से दूसरे छोड़ की रस्सी काट दी थी जिसके कारण 30 वर्षीय जयसिंह धामी की मौत हुई थी।

क़ुरान पाक की रोशनी में

यह दौर इल्म का दौर है और नई-नई ईजादात की वजह से साइंस का ज़माना है, इस हकीक़त से इंकार नहीं किया जा सकता कि मौजूदा ज़माने का सारा विकास नई-नई शोधों के ऊपर क़ायम है। कौमों के उरूज व ज़वाल की तारीख वाज़ेह तौर पर यह इंकिशाफ़ करती है कि जब कौमों ने जद्दोजिहद करके इल्मी ख़ज़ानों से लाभ प्राप्त किया वह तरक्क़ी के राहें तामीर करती रही और जो कौमें इल्मी खज़ानों से खाली हो गईं ज़िल्लत व रुसवाई उनका मुक़द्दर बन गया।

दुनिया में जितने भी लोग आबाद हैं वह इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि वह लोग जो इल्म सीखते हैं हमेशा उन लोगों के मुक़ाबले में जो इल्म नहीं जानते मुअज़्ज़ज़ रहते हैं। अल्लाह तआला ने दुनिया में एक लाख चौबीस हजार पैग़म्बर भेजे, हर पैग़म्बर ने बताया है कि इंसान दूसरे तमाम हैवानात से इसलिए अफज़ल है कि उसके अंदर इल्म सीखने की क्षमता मौजूद है। जहां तक अक़ल का ताअल्लुक़ है अक़ल हर नक़्श में और नौअ् के हर फर्द में है। इस बात का दावा नहीं किया जा सकता कि अक़्ल सिर्फ इंसानों में है।

दुनिया में कोई मख़लूक़ ऐसी नहीं है जिसके बारे में यह कहा जाए कि उसके अंदर अक़्ल नहीं है। खाने की अक़्ल, पानी पीने की अक़्ल, सोने की अक़्ल, सर्दी गर्मी से बचाव की अक़्ल, बच्चों को प्यार करने की अक़्ल और बच्चों को तर्बियत देने की अक़्ल हर मख़लूक़ में मौजूद है। बिल्ली अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनकी परवरिश करती है और उन्हें शिकार करना सिखाती हैं।

क़ुरआन पाक की एक सूरत का नाम ''नमल'' है यानी च्यूंटी हैं च्यूंटी बरसात आने से पहले अपनी गिज़ाई ज़रूरियात का ज़ख़ीरा कर लेती है। च्यूंटी ज़मीन के अंदर गिज़ाई अजनास के ज़ख़ीरे के लिए अलग-अलग स्टोर बनाती है।

चीनी की जगह चीनी रखती है, चावल की जगह चावल रखती है, गेहूं की जगह गेहूं रखती है। च्यूटिंयां दीवार के अंदर ताक़ बना कर चीज़ें महफ़ूज़ करती हैं ज़मीन के अंदर अगर पानी दाख़िल हो तो गिज़ा ख़राब नहीं होती। च्यूंटी के अंदर अगर अक़्ल न हो तो वह खुद कफील नहीं हो सकती।

घोड़े में भी इजाफ़ी अक़्ल होती है, घोड़ा वफादार जानवर है। मालिक के इशारों को समझता है, लड़ाइयां लड़ता है, जंगी महाज़ पर अपने सवार के इशारों के मुताबिक़ आगे पीछे होता रहता है।

चिड़ियां अपने बच्चों को चूगा देती हैं, उनको उड़ना सिखाती हैं। चिड़ियों में ऐसी भी चिड़ियां हैं जो अपने बच्चों के लिए घोंसले बनाती हैं, घोंसले बच्चों के सुपुर्द करके खुद उड़ जाती हैं और अपने लिए दूसरा घोंसला बनाती है।

ग़र्ज़ यह कि दुनिया में कोई मख़लूक़ ऐसी नहीं है जिसके बारे में यह कहा जाए कि उसके अंदर अक़ल नहीं है। खाने की अक़्ल, पानी पीने की अक़्ल, सोने की अक़्ल, सर्दी गर्मी से बचाव की अक़्ल, बच्चों को प्यार करने की अक़्ल और बच्चों को तर्बियत देने की अक़्ल हर मख़लूक़ में मौजूद है। बिल्ली अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनकी परवरिश करती है और उन्हें शिकार करना सिखाती हैं। बाज़ औक़ात एक मुर्गी के 19 या 20 बच्चे होते हैं। रंगी हुई रूई के गालों की तरह छोटे-छोटे खूबसूरत बच्चे जब मुर्गी के साथ ज़मीन पर जो मुसलमान किसी से मुहब्बत करे तो अल्लाह के लिए और किसी से नफ़रत करे तो अल्लाह के लिए तो ऐसे मुसलमान का ईमान कामिल होगा।

क़यामत के दिन ज़िन्दा किया जाएगा हर शख़्स उस हालत और सिफ़त पर कि जिस हालत और सिफ़त पर वह मरा था यानि मरते वक्त जो अक़ीदा और आमाल थे उसी अक़ीदा और आमाल पर हश्र के दिन ज़िन्दा उठाया जाएगा।

मुसलमानों की दुआ कभी रद्द नहीं होती बल्कि तीन सूरतों में कोई सूरत पैदा करती है बशर्ते कि उसने किसी गुनाह या क़तए रहम की दुआ न की हो। (1) या तो दुनिया ही में उसकी हाजत पूरी हो जाती है। (2) या उसकी यह दुआ उसके लिए आख़िरत का ज़ख़ीरा बन जाती है (3) या जिस क़द्र उसने दुआ की है उसी क़द्र उससे तकलीफ़ को दूर कर दिया जाता है।

क़यामत की निशानियां यह हैं कि नमाज़ों को ज़ाया कर दिया जाएगा, शहवाते नफ़्सानी की इत्तिबाअ् की जाएगी, ख़्यानत करने वाले और फ़ासिक़ लोग सरगिरोह बन जाएंगे। सच्चे और झूठे में तमीज़ मुश्किल हो जाएगी, दरोग़ गोई मज़ाक़ हो जाएगी, ज़कात को बोझ ख़्याल किया जाएगा, ईमानदार ज़लील समझे जाएंगे और वह बुराईयों को देख कर इस तरह कुढ़ेंगे जिस तरह नमक पानी में घुल जाता है मगर ज़बान से कुछ न कह सकेंगे। बारिश बे-मौसम होकर बे-फ़ायदा हो जाएगी। औलाद वालिदैन की नाफरमानी करेगी। दोस्त दोस्त को नुक़सान पहुंचाएगा। मसाजिद शानदार और दिलआवेज़ होंगी उनमें नमाज़ी भी होंगे मगर दिलों में कदूरत और कीना होगा। क़ुरआन शरीफ सुनहरी हुरूफ़ में लिखे जाएंगे मगर उस पर अमल न होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो क़ुरआन शरीफ़ को राग और सुरूद के साथ पढ़ेंगे, सूद आम हो जाएगा। इंसानी खून की अरज़ानी होगी, हज को अमीर इसलिए जाएंगे कि सैर व तफरीह करें, मुतवस्सित इसलिए जाएंगे कि वह तिजारत करें और ग़रीब इसलिए कि वहां जाकर भीख मांगें।

ईमान की पहचान यह है कि झूठ के मुक़ाबले में सच को वहां भी इख़्तियार किया जाए जहां सच बोलने से ज़रर का अंदेशा हो और हमेशा गुफ़्तगू इल्म के मुताबिक़ होनी चाहिए (यह ठीक नहीं कि इल्म कम और बातें ज़्यादा हों) और दूसरों के बारे में राय क़ायम करने और कुछ कहते वक्त खुदा से डरना चाहिए।

अगर कोई शख़्स अंधे ग़ार में जिसका कोई दरीचा या दरवाज़ा न हो, कोई नेक काम या बुरा फेअ्ल करे तो अल्लाह तआला उसे भी लोगों पर ज़ाहिर कर देंगे। मतलब यह है कि ऐब व सवाब का कोई अमल छुपाए से नहीं छुप सकता।)

मोमिन की फिरासत से डरो इसलिए कि वह अल्लाह तआला के नूर से देखता है। जो लोग जुल्म करते हुए देखते हैं और अपनी मक़दिरत की हद तक उसे दफ़ा करने की कोशिश नहीं करते वह समझ लें कि अंक़रीब वह खुद भी जुल्म व तअद्दी के हवाले कर दिए जाएंगे।

लोगों को अज़ान और पहली सफ़ का सवाब मालूम नहीं अगर मालूम हो जाए तो उस सवाब को हासिल करने के लिए लोग आपस में क़ुरआ अंदाज़ी किया करें और अगर लोगों को नमाज़ का सवाब मालूम हो जाए तो लोग सीना के बल चलकर मस्जिद में आया करें। मुअज़्ज़िन की बख़्शिश और मग़फिरत उसकी दराज़िए आवाज़ के मुवाफिक़ है, हर ख़ुश्क व तर उसके लिए मग़फिरत की दुआ करता है।

लोगों को अज़ान और पहली सफ़ का सवाब मालूम नहीं, अगर मालूम हो जाए तो उस सवाब को हासिल करने के लिए लोग आपस में क़ुरआ अंदाज़ी किया करें और अगर लोगों को नमाज़ का सवाब मालूम हो जाए तो लोग सीना के बल चलकर मस्जिद में आया करें। मुअज़्ज़िन की बख़्शिश और मग़फिरत उसकी दराज़िए आवाज़ के मुवाफिक़ है, हर खुश्क़ व तर उसके लिए मग़फिरत की दुआ करता है।

मुअज़्ज़िन की गर्दनें क़यामत में लम्बी होंगी (गर्दनों का लम्बा होना किनाया है रफ़ए दर्जात से)।

खुदा से बेहतरीन बंदे वह हैं जो सूरज की धूप और चांद तारों की गर्दिश को देखते रहते हैं ताकि नमाज़ का वक़्त फौत न हो जाए। ❑❑

नूरे क़ुरआन

(सूरा अलम नशरह नं॰ 94)

अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.

यह सूरा मक्का में उतरी इसमें आठ आयतें हैं।

प्रारंभ करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो असीम कृपालु महादयालु है।

क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया।

कि उसमें अल्लाह को पहचान ने और ज्ञान के समंदर उतार दिये और रसूल के कार्य और उसके कर्तव्य को निभाने के लिए बड़ा हौसला दिया, ताकि असंख्य विरोधियों की दुश्मनी और विरोध के मुक़ाबले में घबराने न पायें।

चेतावनी :- हदीसों और जीवनियों से सिद्ध है कि प्रत्यक्ष रूप से भी फरिश्तों ने अनेकों बार आपका सीना चीरा, लेकिन आयत में इस ओर प्रत्यक्ष रूप से संकेत नहीं मिलता।

और हमने आप पर से आपका वह बोझ उतार दिया जिसने आपकी कमर झुका दी थी।

वह्यी का उतारना प्रथम बहुत कठिन था, तत्पश्चात् आसान हो गया था। या रसूल के पद की ज़िम्मेदारी को अनुभव करके स्वभाव पर बोझ पड़ता होगा वह दूर कर दिया गया या बोझ उतारने से, उन ठीक और जायज़ कामों से तात्पर्य है जो कभी-कभी आप बुद्धियुक्त और ठीक समझ कर कर लेते थे और तत्पश्चात् उनका तात्विकता के विपरीत होना या दूसरे के मुक़ाबले में कम अच्छा होना मालूम होता था, तो आप अपनी ऊँची महिला और अल्लाह से अधिक समीपता के कारण उससे इस प्रकार ग़मग़ीन होते जैसे कोई गुनाह करने से ग़मग़ीन होता है। इस आयत में उन पर कोई पूछताछ न होने की शुभसूचना दी गई है। ह॰ शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब लिखते हैं कि आपका उच्च साहस और जन्म की योग्यता जिन विशेषताओं और पदवियों तक पहुंचना चाहती थी, हृदय को शारीरिक बनावट के कारण उन तक पहुंचना कठिन लगता होगा। अल्लाह ने जब सीना खोल दिया और साहस बढ़ा दिया वह तमाम परेशानियां जाती रहीं और सारा बोझ हल्का हो गया।

और हमने आपका ज़िक्र ऊँचा किया।

अर्थात् रसूलों में और फरिश्तों में आपका नाम ऊंचा है। दुनिया में तमाम समझदार इंसान बहुत सम्मानित रूप से आपका नाम लेते हैं, अज़ान, तकबीर, खुत्बा, कलमा और नमाज़ आदि में अल्लाह के नाम के पश्चात् आपका नाम लिया जाता है और अल्लाह ने जहाँ बन्दों को अपनी आज्ञापालन करने का आदेश दिया, वहीं आपकी आज्ञापालन को भी अनिवार्य कर दिया।

सो नि:संदेह मुश्किलों के साथ आसानी है। नि:संदेह मुश्किलों के साथ आसानी है।

अर्थात् अल्लाह को प्रसन्न करने में जो सख़्तियां आपने उठाई हैं और कष्ट सहे हैं। उनमें प्रत्येक सख़्ती के साथ कई-कई आसानियाँ हैं जैसे साहस का बढ़ा देना, जिनसे उन कठिनाईयों को उठाना आसान हो गया और आपके नाम को ऊंचा करना, जिसका विचार बड़ी-बड़ी मुसीबतों के सहने को आसान बना देता है या यह मतलब है कि जब हमने आपको आत्मिक सुख दिया और आत्मिक तकलीफ दूर कर दी जैसा कि इस सूरा की पहली आयत से ज्ञात हुआ, तो इससे दुनिया के सुख और मेहनत में भी हमारी कृपा का उम्मीदवार रहना चाहिए। हम वादा करते हैं कि नि:संदेह वर्तमान मुश्किलों के पश्चात् आसानी होने वाली है और अधिक बल देने के लिए दोबारा कहते हैं कि अवश्य वर्तमान सख़्ती के पश्चात् आसानी होगर रहेगी जैसाकि हदीसों और जीवनियों से ज्ञात हो चुका है कि वह तमाम कठिनाईयां एक-एक करके दूर कर दी गईं और प्रत्येक सख़्ती अपने बाद कई-कई आसानियां लेकर आईं। अब भी यही अल्लाह की आदत है कि जो व्यक्ति सख़्ती पर सब्र करे और सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास रखे और चारों ओर से टूट कर उसी से मन लगाये, उसी की कृपा का उम्मीदवार रहे, संसार की परेशानियों से घबरा कर आस न तोड़े, अवश्य अल्लाह उसके लिए आसानी कर देगा। एक प्रकार की नहीं बल्कि अनेकों प्रकार की

उलट पुलट ज़मीनी हक़ीक़त

उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष मार्च में होने वाले चुनावों के लिए जिस तरह भाजपा अभी से ज़मीन तैयार करने में लगी हुई है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आगामी चुनाव बहुत 'टेढ़ी खीर' साबित हो सकते हैं। देश के इस सबसे बड़े राज्य को राष्ट्रीय राजनीति का 'दिल' भी माना जाता है जिसके पुरज़ोर धड़कने पर ही किसी भी राजनैतिक दल को दिल्ली की कुर्सी नसीब होती है। एक ओर जहां राज्य में विपक्ष बिखरा हुआ दिखायी पड़ रहा है वहीं भाजपा ने ज़िला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक अपने सभी छोटे बड़े नेताओं को पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को अपने पीछे लामबंद करने की मुहिम जुटा दी है। उत्तर प्रदेश की ज़मीनी हक़ीक़त यह है कि लोगों में सत्ता विरोधी भावनाएं भी कम नहीं हैं विशेकर ग्रामीण इलाक़े के लोगों में। किसान आंदोलन का असर राज्य के गांवों में सर्वत्र देखने को मिल रहा है जिससे भाजपा का हिन्दुत्व का एजेंडा फीका पड़ने का अंदेशा पैदा हो रहा है। इसी वजह से सत्तारुढ़ पार्टी ने ओबीसी या पिछड़े वर्गों को लामबंद करने की रणनीति पर चलना शुरू कर दिया है। मगर इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा आर्थिक परिस्थितियां आ रही हैं क्योंकि राज्य में अधिसंख्य मज़दूरों की आमदनी आधी के बराबर हो चुकी है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली ग्रामीण जाति 'जाट' इसकी पहुंच से दूर होती जा रही है और मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों के साथ इसकी जो रंजिश 2013 के मुज़फ्फर नगर दंगों के बाद बढ़ी थी वह अब चौधरी चरण सिंह के पौत्र व लोकदल के नेता श्री जयंत चौधरी के प्रयासों से दूर हो चुका है। श्री चौधरी की झुकाव कांग्रेस की ओर माना जाता है परंतु ज़मीनी हक़ीक़त यह है कि गांवों में जिस तरफ जाट समुदाय के लोग जाते हैं उसी ओर अधिसंख्य पिछड़े वर्ग की जातियां भी जाती हैं। इसकी मुख्य वजह वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था है जो इन सभी वर्गों के लोगों को बांधे रखती है।

जयंत चौधरी के दादा स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने 1967 में कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद राजनीति में यही प्रयोग किया था और सभी खेतीहार जातियों को समाज को हिन्दू-मुस्लिम की परवाह किए बिना आपस में संगठित कर दिया था। इसका ज़बरदस्त खामियाज़ा तब जनसंघ (भाजपा) व कांग्रेस दोनों को ही उठाना पड़ा था। परिणामस्वरूप 1969 के मध्यावधि चुनावों में चौधरी साहब की नवगठित पार्टी 'भारतीय क्रांति दल' को कांग्रेस के बाद सर्वाधिक 117 सीटें मिली थीं और जनसंघ तीसरे नंबर पर 47 सीटों के साथ सिमट गई थी और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से बहुत दूर रह गई थी जबकि 1967 के चुनावों में जनसंघ को कांग्रेस के बाद सर्वाधिक 99 सीटें मिली थीं। ये 99 सीटें इसीलिए मिली थीं क्योंकि 1967 के चुनावों में जनसंघ उत्तर प्रदेश के गांवों में सेंध लगाने में सफल हो गई थी और पिछड़ी जातियों के लोगों का उसे समर्थन प्राप्त हो गया था। मगर चौधरी साहब के क्रांति दल के उदय के बाद यह समीकरण बदल गया और हालत यह हो गई कि जनसंघ को बनियों की पार्टी कहा जाने लगा। इसका मुख्य कारण ग्रामीण जनता का आर्थिक व कृषि क्षेत्र के विषयों पर गोलबंद होना था जिसमें हिन्दू-मुस्लिम का भेद स्वत: समाप्त हो गया था।

भारतीय जनता पार्टी से प्रतिद्वंदिता करने की ताक़त फिलहाल समाजवादी पार्टी समेत उत्तर प्रदेश के किसी भी एक राजनीतिक दल में नहीं है। इस सच्चाई को राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव ने पिछले दिनों मुलायम सिंह यादव से हुई भेंट के दौरान ही साफ कर दिया था और स्पष्ट रूप से कहा था कि सभी मुख्य विपक्षी दलों को एक होकर भाजपा को परास्त करने काा यह स्वर्ण अवसर हो सकता है क्योंकि लोग महंगाई से लेकर बेरोज़गारी और समाज में फैली सांप्रदायिक दुर्भावना से आज़िज आ चुके हैं। सत्य तो यह है कि पिछले तीस वर्ष से राज्य की राजनीति जिस तरह चल रही है उसमें स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर शिक्षा सेवाओं तक का ज़बरदस्त तरीक़े से बाज़ारीकरण हो चुका है और दोनों ही सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ग़रीब वर्ग के लोगों की जीवन भर की कमाई एक ही झटके में खप जाती है। राज्य में किसानों की हालत खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की, बिहार के किसानों के समकक्ष सबसे कम आय के पायदान पर रखी जाती है। इसके समानान्तर कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी श्रीमति सोनिया गांधी व राष्ट्रीय स्तर पर श्री राहुल गांधी ने महंगाई व किसानों की स्थिति को लेकर जो अभियान छेड़ा हुआ है उसकी गूंज अब ज़मीन पर गांवों में भी सुनाई दे रही है। विशेष रूप से पैट्रोल व डीजल व ईंधन गैस की कीमतों को लेकर। साथ ही खाद्य सामग्री की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। इस गूंज को रोकने के लिए भाजपा दिन-रात एक कर रही है और पिछड़े वर्ग की पहचान को खड़ा करने का हर संभव प्रयास कर रही है।

इसी तरह पिछले दिनों उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव से भेंट की और उनसे पिछड़े वर्गों के पर नाम स्व. कल्याण सिंह की शोकसभा में शामिल होने की गुज़ारिश की। इन हालात का आंकलन ये ही निकलता है कि आगामी चुनावों में हार-जीत की चाबी पिछड़े वर्ग के लोगों के हाथों में ही रहेगी, इसी वजह से इस समुदाय के छोटे छोटे वर्ग की पार्टियां जैसे राजभर की 'सुभासपा' व संजय निषाद 'निषाद पार्टी' आदि ज़रूरत से ज़्यादा उछल रही हैं। मगर इनका लाभ अंतत: भाजपा को ही मिलेगा। इसकी वजह यह है कि विपक्ष के संगठित न होने की स्थिति में सत्ता विरोधी वोटों का बंटवारा जम कर होगा। यह प्रयोग 2012 के चुनावों में पंजाब में आकली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने किया था और कांग्रेस से केवल 50 हजार वोट अधिक लेकर राज्य में अकाली दल की सरकार पुन: गठित कर ली थी।

अधिक प्रत्याशियों का खड़ा होना सत्ता विरोधी भावनाओं को छिन्न-भिन्न कर देता है। परंतु भाजपा इस राज्य में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है और अभी से उसने विपक्ष के लिए दुर्गम परिस्थितियां इस प्रकार बनानी शुरू कर दी हैं कि इसका विरोधी समझा जाने वाला मुस्लिम संप्रदाय ग़फ़लत में पड़ा दिखाई दे। मगर यह भी तय है कि इस बार मुस्लिम समुदाय न तो समाजवादी पार्टी को और न ही बहुजन समाज पार्टी का अंध भक्त नज़र आ रहा है जबकि असदद्दीन ओवैसी की पार्टी की प्रतिष्ठा सत्ता की मदद करने वाली पार्टी की बनी हुई है। ❑❑

पुलिस अत्याचार और अदालती टिप्पणियाँ

एम.पी. सिंह पाहवा

जब भी कोई अपराध होता है तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस का पहला काम मुक़द्दमा दर्ज करना और फिर दोषियों की गिरफ्तारी करना होता है। यह अलग बात है कि हर मुक़दमे में सीधी गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं होती बल्कि कुछ प्रारंभिक जांच पड़ताल करनी होती है और फिर यदि ज़रूरी समझा जाए तो गिरफ्तारी करनी बनती है। पुलिस किसी हो चुके अपराध की या होने वाले अपराध की गुप्त सूचना के आधार पर भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है।

फौजदारी मामलों में अक्सर दोषी की गिरफ्तारी ज़रूरी समझी जाती है, कई बार मुक़दमे का सच खोजने के लिए, माल बरामद करवाने के लिए, अपराध के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद करवाने के लिए या फिर अंध अपराध (जिनमें दोषी नामज़द न हों) के लिए दोषियों का पता लगाने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में हो रही देरी से भी मुद्दई पक्ष का जांच एजेंसियों तथा न्याय प्रणाली से विश्वास उठने लग पड़ता है इसलिए अधिकतर मुद्दई पक्ष दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उच्चाधिकारियों और फिर उच्च अदालतों तक पहुंच करता है। इस लिहाज़ से देखा जाए तो इस अपराध के लिए मुलज़िम की गिरफ्तारी न्याय प्रणाली का एक अहम हिस्सा बन चुकी है।

पुलिस का प्रारंभिक कार्य किसी अपराध की जांच करना, सबूत इकट्ठे करना और फिर मामला अदालत में पहुंचाने का होता है, जिस मामले में दोषी नामज़द हों, मौक़े के गवाह सामने आ जाएं, दोषियों की मौक़े पर ही गिरफ्तारी हो जाए अथवा मौक़े से कोई ऐसा सबूत हाथ लग जाए जिससे दोषियों का सीधा संबंध हो तो फिर पुलिस को भी जांच करने में कोई कठिनाई नहीं होती।

अब अपराध अज्ञात हाथों से किया जाता हो, मौक़े का कोई गवाह न हो और दोषियों तक ले जाने के लिए कोई अन्य सबूत भी हाथ न लगे तो फिर सचमुच पुलिस का कार्य कठिन हो जाता है। पुलिस को विभिन्न थ्योरियों पर काम करना पड़ता है, संदिग्ध व्यक्तियों को क़ाबू करना पड़ता है। ऐसे मामलों में अक्सर पुलिस को ग़ैर कानूनी ढंग अपनाने पड़ते हैं अर्थात् कुछ सख़्ती करनी पड़ती है।

यह ठीक है कि आज के युग में तकनीक बहुत विकसित हो चुकी है। फोरेंसिंग साइंस भी इस्तेमाल में है, मोबाईल टॉवरों के माध्यम से, ए.टी. एम. मशीनों का इस्तेमाल भी कई बार दोषियों की तलाश में मददगार साबित हो रहे हैं। इन वैज्ञानिक तथा तकनीकी साधनों के बावजूद भी पुलिस द्वारा अमानवीय तरीके अपनाए जाते हैं। दोषियों को अत्यंत यातना दी जाती है। इस यातना के लिए साधारण से लेकर असाधारण तरी तक अपनाए जाते हैं। कई बार पुलिस द्वारा ऐसे अमानवीय तरीके अपनाए जाते हैं जिन्हें सुनकर इंसानियत शर्मसार होने लगती है।

गत वर्ष 'यातना के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान' नामक एक ग़ैर सरकारी संस्था की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में 125 व्यक्तियों को 124 केसों में पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। अधिकतर अदालतों द्वारा भी मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस अत्याचारों के आरोपों को नोटिस लिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्न का बयान भी सामने आया है जिनका कहना है कि पुलिस थानों में न तो मानवीय अधिकार सुरक्षित हैं और न ही शारीरिक तौर पर कोई व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है। उनका मानना है कि मानवीय अधिकार तथा सम्मान पवित्र हैं। हिरासत में यातनाओं जैसी समस्याएं आज भी समाज में मौजूद है। जस्टिस रमन्ना के मुताबिक संवैधानिक घोषणाओं तथा गारंटियों के बावजूद प्रभावशाली कानूनी प्रतिनिधित्व की कमी भी गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए व्यक्ति की बड़ी हानि के करने के बराबर है इसलिए पुलिस ज़्यादतियों पर नज़र रखने के लिए कानूनी सहायता के संवैधानिक अधिकार के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है।

इससे पहले फरवरी में एक सेवामुक्त पुलिस कर्मचारी (दोषी) की अपील की सुनवाई के दौरान भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि पुलिस थानों में किसी मुजरिम की पिटाई से समाज में डर की भावना पैदा होती है और पुलिस द्वारा ऐसा अत्याचार किसी भी तरह माफी योग्य नहीं है।

पुलिस हिरासत में मौत के अन्य कारण भी हो सकते हैं जैसे कि बुढ़ापा, कोई पुरानी बीमारी, डॉक्टरी सुविधाओं की कमी, जेल में अवांछित भीड़ मगर पुलिस की कार्य प्रणाली में सुधार की कमी, उनकी जवाबदेही का न होना, फॉरेंसिक तकनीक का सही इस्तेमाल न करना भी इस अत्याचार के मुख्य कारण हैं। पुलिस अत्याचार समाज में सहम पैदा करता है। कई बार निर्दोष भी पुलिस अत्याचार से डर से कसूर मान लेते हैं जिस कारण असल दोषी बच निकलते हैं और उनको अन्य जुर्म करने का बढ़ावा मिलता है। पुलिस अत्याचार के ख़ात्मे के लिए अदालत की समय-समय पर टिप्पणियां तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार विशेष ध्यान की मांग करते हैं। ❑❑

यह भारत में हॉकी का पुर्नजन्म है मनप्रीत सिंह

टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और उनकी टीम के सदस्यों के सम्मान समारोहों की देखभर में धूम है। सम्मान समारोहों में भाग लेने के लिए मनप्रीत कहीं जाते हैं, तो हर समय अपने पदक को साथ ले जाते हैं। मनप्रीत बताते हैं कि जब से यह पदक मिला है हर पल ये मेरे साथ रहता है, पेश मनप्रीत से हुई एक विशेष बातचीत के प्रमुख अंश :-

सवाल:- भारत लौटने के बाद से आपको जो खूब प्रशंसा मिल रही है, उस पर टीम की क्या प्रतिक्रिया है?

जवाब:- हमें वहां अपने पदक की महिमा का एहसास नहीं हुआ। निश्चित रूप से हमें कई कॉल और संदेश आए, लेकिन जब मैंने भारत की धरती पर कदम रखा, तो पदक की महिमा कल्पना से कहीं बहुत ज़्यादा थी। एयरपोर्ट पर लोगों का हुजूम था। इतने लोग आए थे कि हमें दूसरे रास्ते से बाहर निकालना पड़ा। जब हम होटल पहुंचे, तो हमारा स्वागत किया गया। उसके बाद एक के बाद एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे ही चल रहा है। लगता है कि हम भारत भ्रमण पर हैं। यह अच्छी बात है। हमें सभी का इतना प्रोत्साहन मिला है कि लगने लगा है कि सभी के पास जाना और शुक्रिया अदा करना हमारा काम है।

सवाल:- क्या आप मानते हैं कि आप इस पदक को हासिल करने में सक्षम हैं और इसके हक़दार भी हैं?

जवाब:- वाक़ई में हरेक से इतना प्यार मिलने के बाद लगा कि किस्मत का सितारा चमक उठा है, यार हमने पदक जीता है।

सवाल:- देश की इस पीढ़ी के अधिकांश लोगों ने, जिनमें आप भी शामिल हैं, ओलंपिक में भारत के हॉकी पदकों के बारे में सिर्फ सुना ही होगा। इस पदक को देखना कितना महत्वपूर्ण था और खिलाड़ियों के लिए भी लंबे अंतराल के बाद पहली बार यह अनुभव कितना शानदार रहा..?

जवाब:- भारत ने 1980 में आख़िरी बार हॉकी में पदक जीता था। उसके 12 वर्ष बाद मेरा जन्म हुआ उन पदकों के बारे में मैंने केवल कहानियों में सुना था। मैंने बलबीर सिंह का पदक देखा, लेकिन वह भी बहुत पुराना था। अब जब हमने हमेशा के लिए पदक जीत लिया है, तो बड़ी संख्या में युवाओं ने इसे देखा है। उन्होंने हमें देखा होगा या नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक जीतते देखा होगा। यात्रा के दौरान मैं हर ओर देख रहा हूं, कि युवाओं में दीवानगी लौट आई है। यह एक तरह से भारत में हॉकी का पुर्नजन्म है। इतने सालों से बहुत से लोग हॉकी के बारे में बात नहीं करते थे, लेकिन अब ऐसे लोग भी, जिन्होंने ज़्यादा हॉकी नहीं देखी है, हमारा मेच देखते हैं।

सवाल:- उन अन्तिम क्षणों की बात करें, तो ओलंपिक जैसी उच्च दबाव वाली प्रतियोगिता में परिणाम बदलना कभी आसान नहीं होता है, भारतीय हॉकी टीम पहले अक्सर दबाव में आती रही है। आपने जर्मनी जैसी टीम के ख़िलाफ़ 1-3 की हार पर भी क़ाबू पा लिया?

जवाब:- आइए बात करते हैं, मैच से पहले क्या हुआ। हम बेल्जियम से सेमी फाइनल हार गए थे और वास्तव में निराश थे। हम फाइनल में पहुंचना चाहते थे, क्योंकि भरोसा था कि मैडल हम जीतेंगे। जब आप कांस्य के लिए खेल रहे होते हैं, तो यह 50-50 का मौक़ा होता है। हमारे पास मैचों के बीच एक दिन का वक्त था। खिलाड़ियों को शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार करना और खुले दिलों दिमाग़ से मैच में शामिल होना सबसे महत्वपूर्ण था। हम सभी एक साथ एकत्रित हुए और मैंने कहा, देखो, हमारे पास अभी भी एक पदक के साथ घर जाने का अवसर है। हम अगले मैच में यदि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं करते हैं तो हम आजीवन पछताएंगे, काश...ये किया होता काश वह किया होता...मैं उस शॉट को मिस नहीं करता। हम सभी ने कहा कि पिछले 18 माह में हमने तैयारियां की है, त्याग किया है, घरों से दूर रहे हैं। 6-7 माह से किसी से मिले भी नहीं है। आखिर के 15 मिनट में हमने कहा था कि अगर हम अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो हम इस दिन को आजीवन याद रखेंगे।

सवाल:- क्या आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, जो इस टीम को पूर्व की दो ओलंपिकों टीमों से अलग करती हैं और भी उन टीमों का हिस्सा रहे हैं?

जवाब:- आत्मविश्वास और मानसिकता। अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो, तो पूरी क़ायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। हमारी टीम की भी यही मानसिकता या सोच थी। सच्चे दिल से हम पदक जीतना चाहते थे। टोक्यो जाने से पहले, महामारी के दौरान भारतीय टीम को जिस तरह त्याग करना पड़ा, जैसे छह माह तक परिवारों से दूर रहना पड़ा, मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य टीम को ऐसे हालात से गुज़रना पड़ा होगा। इसलिए सभी को लगा कि हम जीत के लायक़ हैं। हम तहेदिल से मैडल जीतना चाहते थे ठीक वैसा ही हुआ, पूरी कायनात ने उसे हमसे मिला दिया।

सवाल:- भारतीय टीम के लिए अब इस पदक से आगे बढ़ना कितना महत्वपूर्ण है? अगले वर्ष कुछ प्रमुख प्रतियोगिताएं हैं और पेरिस भी बहुत दूर नहीं है

जवाब:- अभी तो बहुत कुछ हासिल करना है, भारतीय हॉकी को। जब मै। 2011 में भारतीय टीम में शामिल हुआ था, तब हम दुनिया में 12वें स्थान पर थे। हम इस समय नंबर 03 पर हैं। अब हम नंबर 01 बनना चाहते हैं।

सवाल:- कोच और कोर ग्रुप की निरंता भी कुंजी होगी होगी? ग्राहम रीड ने कम समय में टीम के साथ अच्छा काम किया..?

जवाब:- वह हॉकी खिलाड़ी और खुद ओलंपिक पदक विजेता रह चुके हैं। उनका मानना है कि भारत के पास काफी कौशल है और वह इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। वह हमेशा कहते हैं, अच्छा आक्रामण मैच जिता सकता है, लेकिन अच्छा बचाव चैम्पियनशिप जिताता है। आक्रमण के मोर्चे पर भी हम पहले 25-30 बार सर्कल में प्रवेश करते थे, लेकिन अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते थे। उन्होंने हमें बताया कि सर्कल में 10 बार जाना भी ठीक है, लेकिन वहां जाना कारगर होना चाहिए, यही मौक़ा शॉट, गोल या एक पैनल्टी कार्नर में बदल जाता है।□□

जानें दाँतों में हो रहे दर्द के कारण

दांत दर्द के कई कारण हो सकते हैं। सही ध्यान नहीं दिए जाने के कारण छोटे बच्चों और युवाओं में भी दांत दर्द की समस्याएं अब आम होती जा रही हैं। सही समय पर उपचार से कई बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है।

स्वस्थ दांतों के लिए इनका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। दांतों में दर्द का सबसे बड़ा कारण कैविटी है। यह समस्या गलत खान-पान और दांतों की सही सफाई की अनदेखी करने से पैदा होती है, जिससे दांतों में बैक्टीरियां पनपने लगते हैं और दांत खोखले होना शुरू हो जाते हैं। संक्रमण दांतों की जड़ों तक पहुंच कर दांतों में दर्द पैदा करता है। ज़्यादा मीठा और जंक फूड खाने के कारण छोटे बच्चों में भी दांतों के दर्द की समस्या अधिक होती हैं। शुरू में ही दर्द का इलाज करा लिया जाए, तो कई बड़ी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है।

ये होते हैं शुरुआती लक्षण

दाँतों में ठंडा या गर्म पानी लगता, दांतों की समस्याओं का शुरुआती संकेत है। लगातार अनदेखी करने पर दांतों में दर्द रहने लगता है। कुछ भी खाते समय दांतों में दर्द या झनझनाहट महसूस होती है। इसके अलावा मसूड़ों और चेहरे पर सूजन आ जाती है। दांतों से खून निकलने लगता है। लंबे समय तक उपचार न कराने पर मसूड़ों की पकड़ कमज़ोर होने लगती है।

रात में होता है अधिक दर्द

दांत में दर्द की समस्या दिन के मुक़ाबले दात में ज़्यादा परेशान करती है। दांतों के आस/पास अति संवेदनशील नसों की वजह से ऐसा होता है। रात में जब हम लेटते हैं, तो, खून सिर की ओर तेजी से जाने लगता है। उस हिस्से में खून का दबाव अधिक बढ़ने पर तेज़ दर्द होने लगता है।

अक्ल दाढ़ है बड़ा कारण

अक्ल दाढ़ भी दांत में दर्द का कारण बन जाती है। इसके निकलते समय तेज़ दर्द होता है। अक्ल दाढ़ 18 से 22 वर्ष आयु में निकलती है, तब तक सभी दांत निकल चुके होते हैं। यह दाढ़ सबसे आख़िर में निकलती है, इस वजह से उसके आसपास के मसूड़ों और दांतों पर दबाव पड़ता है। ये दाढ़ काफी मज़बूत होती है। अक्ल दाढ़ का दर्द कभी एक से दो दिन में ठीक हो जाता है, तो कुछ लोगों को यह सात से आठ दिन तक भी परेशान करता है। कुछ लोगों को तेज़ दर्द की वजह से सिर दर्द भी हो सकता है। मसूड़ों में सूजन भी आ जाती है, जिससे भोजन चबाने में दिक्क़त आने लगती है।

इन आदतों को अपनाएँ

ज़्यादा मीठा चीजें न खाएं, विशेषकर रात में मीठा खाने के बाद अच्छी तरह से दांत ज़रूर साफ करें।

मुंह की सफाई का विशेष ध्यान रखें

तंबाकू न चबाएं।

धूम्रपान करने से बचें।

खानपान का रखें ध्यान

खानपान का रखें विशेष ध्यान

रिफाइंड तेल में बनी चीजें कम खाएं।

मीठे और चिपचिपे पदार्थ का सेवन कम करें।

बहुत ज़्यादा ठंडी और गर्म चीजें न खाएं।

कुछ भी खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करें।

स्वस्थ और पौष्टिक आहार का सेवन करें।

पनीर, दूध, दही जैसे डेयरी उत्पादों का सेवर करें।

मैदा की जगह आटे वाली चीजें खाएं।

फाइबर युक्त फल और सब्ज़ियां खाएं।

रूट कैनाल ट्रीटमेंट

यदि आप दांत के दर्द से पीड़ित हैं और घरेलू उपचार और दवाओं से दांत का दर्द ठीक नहीं हो रहा हो, तो डॉक्टर आपको रूट कैनाल की सलाह दे सकते हैं। अंत में यही सबसे प्रभावी उपचार बचता है। यह एक सामान्य उपचार है, जो दांतों की जड़ों पर किया जाता है। इसमें संक्रमित हिस्से की ढंग से सफाई करके उसे आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान नसों और संक्रमित जगह को दांत की जड़ से हटाकर उस हिस्से को सील कर दिया जाता है। यह ट्रीटमेंट 3 से 4 बार की सिटिंग में होता है।

माउथ वॉश से भी होता है फायदा

फ्लॉस करने के बाद माउथ वॉश से रोज़ाना मुंह की सफाई करें। माउथ वॉश में एंटीसेप्टिक रसायन होते हैं, जो मुंह में पनप रहे बैक्टीरिया का नाश करते हैं, इससे मुंह में आने वाली बदबू का सफाया हो जाता है।

ज़रूरी सलाह

सुबह और रात में सोने से पहले ब्रश से दांतों की सफाई नियमित रूप से करें। अच्छी क्वालिटी का ब्रश इस्तेमाल करें।

वर्ष में एक बार दांतों के डॉक्टर से पांच कराएं।

कभी-कभी धागे की मदद से दांतों की सफाई करें, जिसे फ्लॉसिंग कहते हैं।

घरेलू उपचार के तौर पर दर्द वाली जगह पर लौंग का तेल या पिपरमिंट लगा सकते हैं। भूल कर भी सुई आदि से दांतों को कुरेदे नहीं।□□

तालिबान की कार्यवाहक सरकार को मान्यता न दे दुनिया, अफगान विद्रोही गुट ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से किया आग्रह

अफगानिस्तान में तालिबान की नई कार्यवाहक सरकार को अवैध करार देते हुए देश में तालिबान के खिलाफ मोर्चा लेने वाली ताकतों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इसे मान्यता नहीं देने का आग्रह किया है। पंजशीर प्रांत स्थित नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने जोर देकर कहा कि तालिबान के कार्यवाहक कैबिनेट की घोषणा अफगानों के साथ समूह की दुश्मनी का स्पष्ट संकेत है। तालिबान दावा कर रहा है कि उसने काबुल के उत्तर में पंजशीर घाटी में एनआरएफ को हरा दिया है, लेकिन एनआरएफ नेताओं का कहना है कि वे अभी भी लड़ रहे हैं। तालिबान की मंगलवार को घोषित अंतरिम कैबिनेट को अमेरिका की आलोचना का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से तालिबान नेता या उनके सहयोगी शामिल हैं और इसमें कोई भी महिला सदस्य शामिल नहीं है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने अमेरिकी बलों पर हमलों से जुड़े आंकड़ों पर भी चिंता व्यक्त की है।

अंतरिम कैबिनेट का नेतृत्व मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद कर रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र की ब्लैक लिस्ट (काली सूची) में है। कैबिनेट में शामिल एक अन्य व्यक्ति, सिराजुद्दीन हक्कानी भी अमेरिकी एफबीआई द्वारा वांछित है। एक बयान में अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा,।

बयान में आगे कहा गया कि वाशिंगटन तालिबान को विदेशी नागरिकों और अफगानों के लिए यात्र दस्तावेजों के साथ सुरक्षित मार्ग की अनुमति देते देखना चाहता है, जिसमें अफगानिस्तान से उड़ान भरने के लिए वर्तमान में तैयार उड़ानों की अनुमति भी शामिल है। यह कहते हुए कि दुनिया करीब से देख रही है, अमेरिका ने कहा कि हम अपनी स्पष्ट अपेक्षा को भी दोहराते हैं कि तालिबान सुनिश्चित करे कि किसी अन्य देश को धमकी देने के लिए ऊगान धरती का उपयोग नहीं किया जाएगा। बता दें कि तालिबान ने मंगलवार को मुल्ला हसन अखुंद को अफगानिस्तान की कार्यवाहक सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और अब्दुल सलाम हनफी कार्यवाहक उप प्रधान मंत्री होंगे। तालिबान के दिवंगत सह-संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब को कार्यवाहक रक्षा मंत्रि नियुक्त किया गया है। आमिर खान मुत्ताकी कार्यवाहक विदेश मंत्री बनाए गए हैं, जबकि हक्कानी नेटवर्क के संस्थापक के बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी को कार्यवाहक आंतरिक मंत्री नामित किया गया है। तालिबान के एक प्रवक्ता ने कहा कि अंतरिम सरकार की नियुक्तियां अंतिम नहीं हैं, क्योंकि ये कार्यवाहक पद हैं और शेष पदों की घोषणा बाद में की जाएगी। प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि यह एक कार्यकारी सरकार है और समूह देश के अन्य हिस्सों से लोगों को शामिल करने का प्रयास करेगा। अफगान कार्यवाहक सरकार के गठन की घोषणा तब की गई है, जब तालिबान ने सोमवार को दावा किया कि उसने ऊगानिस्तान के 34 प्रांतों के अंतिम होल्डआउट पंजशीर प्रांत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। तालिबान ने पहले एक समावेशी सरकार बनाने का वादा किया था और उम्मीद जताई थी कि अफगान लोग देश के परिवर्तन के समय में उनका समर्थन करेंगे।

शेष.... शुभ है भारत-तालिबान संवाद

यदि 50 लाख और आ गए तो पाकिस्तान का भट्‌ठा बैठते देर नहीं लगेगी।

पाकिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा चिंता किसी देश को होनी चाहिए तो वह भारत है क्योंकि अराजक अफ़ग़ानिस्तान से निकलने वाले हिंसक तत्वों का इस्तेमाल भारत के ख़िलाफ होने की पूरी आशंका है। इसके अलावा भारत द्वारा किया गया अरबों रुपए का निर्माण कार्य भी अफ़ग़ानिस्तान में बेकार चला जाएगा।

इस समय अफ़ग़ानिस्तान में मिली-जुली सरकार बनवाने में पाकिस्तान भी जुटा हुआ है, लेकिन हय काम पाकिस्तान से भी बेहतर भारत कर सकता है क्योंकि अफ़ग़ानिस्तान के आंतरिक मामलों में भारत की दख़लंदाज़ी न्यूनतम रही है जबकि पाकिस्तान के कई अंध समर्थक और अंध विरोधी तत्व वहां आज भी सक्रिय हैं। भारत ने दोहा में शुरुआत अच्छी की है। इसे अब वह क़ाबुल तक पहुंचाए।❑❑

शेष.... चीन में 03 बच्चे....

लगातार कम हो रहा है। 2016 में चीन में 1.8 करोड़ बच्चे पैदा हुए थे। 2019 में ये आंकड़ा 1.4 करोड़ पर आ गया। वहीं, 2020 में ये आंकड़ा कम होकर 1.2 करोड़ पर आ गया है, जो 1960 के बाद सबसे कम है। 1960 में भयंकर सूखे की वजह से चीन में जनम दर घट गई थी।

वर्ल्ड बैंक का मानना है कि 2030-40 तक चीन की जनसंख्या पीक पर होगी, लेकिन उसके बाद चीन की जनसंख्या में गिरावट आने लगेगी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में आने वाले एक दशक में ही जनसंख्या में गिरावट आने लगेगी। 2100 तक चीन की आबादी करीब 1 अरब ही रह जाएगी, जो अभी 1.44 अरब है। 11 मई 2021 को जारी चीन की जनसंख्या के आंकड़ों में 2011 से 2020 के बीच चीन की जनसंख्या वृद्धि दर 5.38 प्रतिशत रही, 2019 में यह 5.84 प्रतिशत थी। चीन ने जब सख़्त वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की तो लोगों को डर लगने लगा कि उनका एक बच्चा भी कहीं लड़की न हो जाए। इस वजह से देश में कन्या भ्रूण हत्या में भारी बढ़ोत्तरी हो गई थी। लोग ग़ैर कानूनी तरीके से गर्भपात कराने लगे। नतीजा यह हुआ कि देश में लिंगानुपात बढ़ने लगा।❑❑

शेष.... प्रथम पृष्ठ

आपराधिक इतिहास की छानबीन करता और यह पता लगाता कि उन्हें किसी राजनीतिक दल से टिकट कैसे मिल गया। अगर मात्र धनबल-बाहुबल के आधार पर टिकट दिया गया तो संबंधित दल पर कुछ सालों के लिए उसका सिंबल (चिह्न) निलंबित करने की कार्रवाई की जाती या इस आशय का कोई नोटिस दिया जाता। दरअसल धनबल के दम पर बने जनप्रतिनिधि समाज से लेकर सरकारी तंत्र में गंदगी फैलाते हैं। इस मामले में शुचिता बनाए रखना सरकार और चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी है जबकि ऐसी कोई पहल अदालत को ही करनी पड़ती है। गत वर्ष हुए बिहार विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों का आपराधिक इतिहास न प्रकाशित करने/या आयोग को सूचना न देने पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय की एक बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा था, 'अपराधीकरण रोकने के लिए सरकार ने न कुछ किया और न कुछ करेगी।' बाद में उसने दोषी पार्टियों पर पांच-पांच लाख रुपये तक जुर्माना भी लगाया।

वहीं सियासी दलों का तो यह हाल है कि अगले वर्ष होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले एक पार्टी प्रदेश के हर जिले में फूलन देवी की प्रतिमा स्थापित करना चाहती है। वह भी तब जब उने हिंसक अतीत के बारे में सभी जानते हैं। इसी प्रकार कानपुर के कुख्यात बिकरु काण्ड के आरोपित विकास दुबे के इर्दगिर्द भी जातीय अस्मिता का विमर्श खड़ा कर राजनीतिक लाभ देने की कोशिश होती रही है जबकि सभी जानते हैं कि दुबे से उसकी जाति के लोग भी कम आतंकित नहीं थे।

इससे स्पष्ट है कि राजनीतिक परिदृश्य की सफाई का बीड़ा उच्चतम न्यायालय को ही उठाना पड़ेगा। आख़िर देश का कानून का राज स्थापित करना उसकी नैतिक ज़िम्मेदारी हैं संविधान ने इसलिए उसे इतना शक्तिशाली बनाया है। देश के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश महोदय ने साहसिक बयानों ने आशा की एक किरण भी दिखाई है। बीते दिनों उन्होंने स्पष्ट कहा था कि, 'न्यायपालिका को एक सभी अधिकारों की रक्षा के लिए अत्याचारी समूहों की सामूहिक शक्ति से निडर होकर लड़ने के लिए तैयार रहना होगा।' जे.एस. वर्मा ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था 'संसद में जब तक दाग़ी लोग बैठेंगे तब तक देश के लिए कानून बनाने की शैली और तौर तरीक़ों पर विश्वास करना संभव नहीं होगा।' सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हुआ आत्मदाह काण्ड इसका ज्वलंत उदाहरण है। इससे सीख लेकर सुधार की पहल आरंभ की जानी चाहिए।❑❑

शेष.... तालिबान से बात...

ताकि उसके बाद वे अपने मक़सद में पूरे हो सकें। इधर भारत का हाल यह रहा कि अमेरिका का मुंह देखकर बिना सोचे समझे क़दम बढ़ाए जाते रहे और इस चक्कर में अफ़ग़ान गेम से बाहर हो गए।

अमेरिका ऐसी हालत में आ गया है कि अब वह अफ़ग़ान धरती पर अपने हितों का बहुत ख़्याल नहीं रख सकता। ऐसे में इंतज़ार करने के बजाय भारत को तुरंत क़दम बढ़ाना चाहिए और अफ़ग़ान अमीरात को मानयता दे देनी चाहिए। मान्यता देने पर तालिबान भारत का एहसान मानेगा और भारत के हितों का ध्यान रखेगा। इससे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बढ़त मिलेगी। कूटनीतिक तौर पर अफ़ग़ानिस्तान में पकड़ बनाने से भारत का प्रभाव बढ़ेगा और गुलबुद्दीन हिकमतयार की हिज्ब-ए-इस्लामी जैसा भारत विरोधी ताक़तों को कायदे से परास्त किया जा सकेगा, जो काबुल में सक्रिय है। बॉलीवुड की फिल्मों और आईपीएल में अफ़ग़ान क्रिकेटरों की मौजूदगी जैसी बातों से अफ़ग़ानिस्तान में भारत पहले से लोकप्रिय रहा है। ऐसे में दोबारा अपना प्रभाव बढ़ाने में भारत को कुछ विशेष दिक्क़त नहीं आएगी। तालिबान का भी इसमें फायदा है क्योंकि उसे वहां की करीब 30 प्रतिशत शहरी आबादी से राब्ता क़ायम करना है।

बरादर और अखुंदज़ादा की अनुभवी जोड़ी को पता है कि अमीरात का सिस्टम बनाना एक बात है और सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार बनाना दूसरी बात। लोकतांत्रिक भारत के साथ जुड़ने से अफ़ग़ान अमीरात की इमेज को कुछ हद तक फायदा होगा और दुनिया में उसकी मक़बूलियत बढ़ेगी। भारत ने अफ़ग़ानिस्तान में जरंज-डेलारम हाइवे बनाने के लिए पैसा दिया था। उस हाइवे के चलते अफ़ग़ानिस्तान के सुदूर इलाकों से अफीम को ईरान बॉर्डर तक लाने में आसानी हुई है। ईरान बॉर्डर पर अफीम की प्रोसेसिंग यूनिट्स है। अफीम की तस्करी से अफ़ग़ानिस्तान को राजस्व का नुकसान होता था। हाइवे के चलते उसका रेवेन्यू बढ़ा।

इस तरह की ज़मीनी और साफ रुख़ वाली पॉलिसी का फायदा यह है कि भारत को पंजशीर घाटी के गठबंधन से अपने पुराने रिश्ते बनाए रखने में भी उलझन नहीं होगी। भारत के सामने जो भी विकल्प है, उनमें सबसे अच्छा यही है कि तालिबान शासन को मान्यता देकर उसे लुभाया जाए और यह डर भी दिखाया जाए कि बात नहीं बनी तो विरोधी खेमे से रिश्ता मज़बूत कर लिया जाएगा।❑❑

शेष.... मंज़र पस-मंज़र

सीबीआई की किरकिरी

केंद्रीय जांच ब्यूरो को जिन परिस्थितियों में सब इंस्पेक्टर रैंक के अपने अफसर अभिषेक तिवारी को गिरफ्तार करना पड़ा उससे कुल मिलाकर इस जांच एजेंसी की ही किरकिरी हुई। अभिषेक तिवारी को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से मिलीभगत के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अभिषेक पर आरोप है कि उसने देशमुख के करीबी लोगों से रिश्वत ली। वह देशमुख के वकील के संपर्क में था। माना जाता है कि उसने वकील के ज़रिये ही रिश्वत ली और उसके एवज में एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की जिसमें कथित तौर पर यह लिखा गया कि देशमुख के ख़िलाफ़ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता था। इतना ही नहीं, उनके ख़िलाफ़ जारी जांच को बंद करने की भी सिफारिश की गई। यह अंधेरगर्दी एक नए किस्म के भ्रष्टाचार को बयान कर रही है। यदि सीबीआई के अफसर ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे नेताओं से मिल जाएंगे तो फिर इस जांच एजेंसी की साख का क्या होगा?

इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि सीबीआई ने अपने भ्रष्ट अफसर को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि अब इसकी आशंका बढ़ गई है कि जांच एजेंसी के अंदर ऐसे अन्य तत्व होंगे जो भ्रष्टाचार के मामलों की छानबीन में इसी तरह लीपापोती करते होंगे। यह सही समय है कि सीबीआई अपने घर को ठीक करे और उन तत्वों से छुटकारा पाए जो भ्रष्टाचार से लड़ने के बजाय उसे संरक्षण देने काम कर रहे हैं। सीबीआई अफसर के अनिल देशमुख से मिल जाने के मामले से यह भी पता चलता है कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे समर्थ लोगों को न्याय के कठघरे में खड़ा करना कितना कठिन काम है। चूंकि इस मामले में देशमुख के वकील की भी गिरफ्तारी हुई है इसलिए यह भी प्रकट हो रहा है कि भ्रष्ट तत्वों की जड़ें किस बड़े पैमाने पर चारों ओर फैली हुई हैं यह वह स्थिति है जिसमें भ्रष्ट तत्वों को उनके किए की सज़ा दिलाना कहीं अधिक कठिन है। इससे अधिक चिंताजनक बात कोई और नहीं कि जिन पर भ्रष्ट तत्वों से निपटने का दायित्व है वे ऐसे तत्वों से मिल जाएं। यदि ऐसा होगा तो फिर भ्रष्टाचार और अधिक बेलगाम ही होगा। यह मामला यह भी रेखांकित कर रहा है कि भ्रष्ट तत्वों के ख़िलाफ़ कठोर कार्रवाई होना अभी भी कठिन है। इस कठिन काम को आसान बनाने की ज़रूरत तो है ही, भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों की साठगांठ को तोड़ने की भी आवश्यकता हैं यह खेद की बात है कि केन्द्रीय सत्ता की ओर से भ्रष्ट तत्वों की लगाम कसे जाने के तमाम दावों के बावजूद यह साठगांठ टूटती नहीं नज़र आती।❑❑

SHANTI MISSION (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266/2021-23
Publishing Date : 5 Sep.2021 Posting Days : MON. - TUE. at N.D.P.S.O. New Delhi-110002 R.N.I. 57270/93

मंज़र पस-मंज़र — मीम.सीन.जीम

महँगाई का ईंधन, सांसों में घुलता ज़हर

सीबीआई की किरकिरी

महँगाई का ईंधन

एक बार फिर रसोई गैस के घरेलू सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ गई हालांकि अब हर महीने घरेलू गैस की दरों की समीक्षा होती है और उसी के मुताबिक कीमतें बढ़ाई जाती हैं। पिछले दिनों अगस्त माह के शुरू भी सिलेंडर महंगा किया था, अब सितंबर माह के शुरू में फिर से पैसे बढे हैं। अब दिल्ली में रसोई गैस के घरेलू सिलेंडर की कीमत आठ सौ चौरासी रुपय हो गई है। उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में इसके लिए लोगों को नौ सौ सैंलातीस रुपये चुकाने पड़ेंगे। इसी तरह वाणिज्यिक सिलेंडर के लिए दिल्ली में सोलह सौ तिरानबे रुपए और चैन्ने में अठारह सौ इकतीस रुपए चुकाने पड़ेंगे। इस वर्ष के शुरू से लेकर अब तक रसोई गैस की कीमत एक सौ नब्बे रुपए से अधिक बढ़ चुकी है। इसी तरह पाइपलाइन के ज़रिए घरों में सीधे पहुंचाई जाने वाली रसोई गैस यानि पीएनजी की कीमत में भी लगातार बढ़ोत्तरी से लोग पहले ही परेशान हैं। रसोई गैस की क़ीमतें बढ़ने से उन पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही हैं मगर लगता है, सरकार को ईंधन की बढ़ती कीमतों की कोई परवाह नहीं है।

इस वर्ष के शुरू से लेकर अब तक रसोई गैस की कीमत एक सौ नब्बे रुपए से अधिक बढ़ चुकी है। इसी तरह पाइपलाइन के ज़रिए घरों में सीधे पहुंचाई जाने वाली रसोई गैस यानि पीएनजी की कीमत में भी लगातार बढ़ोत्तरी से लोग पहले ही परेशान हैं। रसोई गैस की क़ीमतें बढ़ने से उन पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही हैं मगर लगता है, सरकार को ईंधन की बढ़ती कीमतों की कोई परवाह नहीं है।

अपने पिछले कार्यकाल में भाजपा सरकार ने उज्जवला योजना के तहत हर ग़रीब परिवार को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए थे। तब इस योजना का बढ़-चढ़ कर श्रेय लेने का प्रयास किया गया और दावा किया गया था कि अब इससे गृहिणियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। उसी दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की थी कि वे स्वेच्छा से रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ें, ताकि ग़रीब परिवारों को उसका लाभ पहुंचाया जा सके। उनकी अपील कर लाखों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी थी। इस तरह ज़्यादा परिवार अब सब्सिडी वाले सिलेंडर नहीं लेते। जब सिलेंडर की कीमत साढ़े पांच सौ रुपए थी, तब तक तो सब्सिडी मिला करती थी, पर अब सरकार उसके बोझ से मुक्त है। उधर जिन ग़रीब परिवारों को उज्जवला योजना के तहत सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनकी क्षमता गैस भरवाने की नहीं रह गई है। कोरोना काल में काम धंधे बंद हो जाने, रोज़गार छिन जाने की वजह से बहुत सारे लोगों के लिए दो वक्त का भोजन जुटाना मुश्किल है, मुफ्त सरकारी राशन पर निर्भर हो गए हैं, वे भला रसोई गैस खरीदने की हिम्मत कैसे जुटा पाएंगे। इस तरह रसोई गैस की मांग भी कोई खास नहीं बढ़ी है, फिर भी सरकार इसकी कीमत पर काबू नहीं पा रही है।

रसोई गैस की कीमत बढ़ने से न केवल परिवारों का मासिक ख़र्च बढ़ जाता है, बल्कि बहुत सारी चीजों की कीमत पर भी उसका असर पड़ता है। वाणिज्यिक सिलेंडर का उपयोग बहुत सारे होटल, रेस्तरां, रेहड़ी-पटरी पर कारोबार करने वाले लोगों के अलावा कल-कारखाने भी करते हैं। जब गैस की कीमत बढ़ती है, तो वस्तुओं की उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ने से पहले ही माल ढुलाई महंगी हो गई है। ऐसे में वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण पाना मुश्किल बना हुआ है। मगर पिछले दिनों जिस तरह वित्तमंत्री ने ईंधन की बढ़ती कीमतों का दोष कांग्रेस सरकार के ऊपर मढ़ दिया, उससे ज़ाहिर हो गया कि उनकी चिंता के केन्द्र में महंगाई नहीं है। अगर सरकार इसी तरह व्यवहारिक उपाय तलाशने के बजाय अपनी ज़िम्मेदारी से बचती रहेगी, तो आने वाले दिनों में ये समस्याएं और बढ़ेंगी।

सांसों में घुलता ज़हर

अमेरिका स्थित एक रिसर्च ग्रुप एनर्जी पॉलिसी इंस्टिट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो (एपिक) की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली समेत मध्य, पूर्वी और उत्तरी भारत में रह रहे 48 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ख़तरनाक स्तर तक पहुंच चुके वायु प्रदूषण की कीमत अपनी ज़िन्दगी के कीमती साल कम करते हुए चुकानी पड़ सकती है। रिपोर्ट कहती है कि करीब 40 प्रतिशत भारतीयों की जीवन प्रत्याशी में खराब हवा के चलते 09 वर्ष से भी ज़्यादा कटौती होने वाली है। यही नहीं, प्रदूषित हवा का दायरा पहले से ज़्यादा फैलते हुए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को भी चपेट में ले रहा है। मगर रिपोर्ट में यह आंकलन वर्ष, 2019 की स्थिति पर आधारित है। तब भारत की हवा में पीएम (पर्टिक्युलेट मैटर) की औसत मात्रा 70.03 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर पाई गई थी, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तो थी ही, वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशन द्वारा तय मानक से सात गुना अधिक थी। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह इसी स्तर पर टिकी रहेगी या कोई नई बात नहीं है। 2020 में एक स्विस ग्रुप आईक्यू एयर द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में दिल्ली को लगातार तीसरे बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया था। पिछले वर्ष गर्मियों में सख़्त लॉकडाउन के चलते अपेक्षाकृत साफ हवा में सांस लेने वाली दिल्ली ने ठंड के दिनों में फिर वैसा ही प्रदूषण झेला था। आसपास के राज्यों में पराली जलाने से दिल्ली में जानलेवा स्मॉग फैलता है, सब जानते हैं, लेकिन मामला ऑड-ईवन के ज़रिए कुछ दिनों तक ट्रैफिक का जोर कम करने और कंस्ट्रक्शन के काम पर कुछ समय की रोक लगाने जैसे तात्कालिक उपायों से आगे नहीं बढ़ता। बहरहाल, अच्छी बात यह है कि यह रिपोर्ट मामले की गंभीरता बताने के साथ-साथ भविष्य की बेहतर तस्वीर भी दिखाती है। इस लिहाज़ से यह विशेष तौर पर भारत सरकार के नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का ज़िक्र करती है जो 2019 में लॉच किया गया था। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सबसे ज़्यादा प्रभावित 102 शहरों को वायु प्रदूषण के स्तर में 20 से 30 फीसदी तक कटौती करना है। रिपोर्ट बताती है कि अगर इस कार्यक्रम के लक्ष्य पूरे हो गए तो देश में औसतन जीवन प्रत्याशा में 1.7 वर्ष की और दिल्ली में 3.1 वर्ष तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है। चीन जैसे देश वायु प्रदूषण को कम करने में शानदार सफलता हासिल कर चुके हैं। हमें यह भी समझना होगा किवायु प्रदूषण से स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी ख़र्च में भी बढ़ोत्तरी होती है। इसलिए नेशनल क्लीन एयर जैसे प्रोग्राम को सख़्ती से लागू करना होगा। हमें स्वच्छ हवा को राष्ट्रीय प्राथमिकता में शामिल करना होगा।

आसपास के राज्यों में पराली जलाने से दिल्ली में जानलेवा स्मॉग फैलता है, सब जानते हैं, लेकिन मामला ऑड-ईवन के ज़रिए कुछ दिनों तक ट्रैफिक का जोर कम करने और कंस्ट्रक्शन के काम पर कुछ समय की रोक लगाने जैसे तात्कालिक उपायों से आगे नहीं बढ़ता। बहरहाल, अच्छी बात यह है कि यह रिपोर्ट मामले की गंभीरता बताने के साथ-साथ भविष्य की बेहतर तस्वीर भी दिखाती है।

बाक़ी पेज 11 पर

दिल्ली दंगों के आरोपी गुलफाम को मिली ज़मानत

जमीयत उलेमा-ए-हिन्द निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है : मौलाना महमूद मदनी

दिल्ली दंगों के शिकार लोगों में से कई अपने परिवार के अकेले कमाने वाले हैं, जो दिल्ली पुलिस की ग़ैर ज़िम्मेदाराना हरकतों के कारण एक वर्ष से अधिक समय से बंद हैं, उनमें से एक गुलफाम उर्फ वीआईपी है। अदालत ने हाल ही में उसे अपनी गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिए पैरोल पर बाहर आने की अनुमति दी थी, अब उसको अस्थाई ज़मानत के लिए लोक अभियोजक और जमीयत के वकील सलीम मलिक के बीच बहस शुरू हुई और अदालत ने अंततः जमीयत के वकील के तर्क को बरकरार रखा और गुलफाम को स्थाय ज़मानत दे दी।

ग़ौरतलब है कि गुलफाम पर दंगों के बीच गोस्वामी को गोली मारने का आरोप है। पुलिस के पास इस संबंध में प्रदीप सिंह वर्मा की गवाही है, जिसके बारे में जमीयत के वकील ने अदालत को बताया कि एक विशेष समुदाय से अपनी दुश्मनी के आधार पर वह गवाही दे रहा है, दंगों के एक माह बाद उसने गुलफाम की पहचान की, इसके अलावा आरोपी किसी भी सीसीटीवी फुटेज में दिखाई नहीं दिया। सच तो ये है कि गोस्वामी खुद दंगों का हिस्सा था और यह बहुत संभव है कि वह एक दोस्ताना गन शूट में दुर्घटना का शिकार हुआ हो।

जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के अध्यक्ष मौलाना महमूद असअद मदनी ने अदालत के फैसले पर खुशी ज़ाहिर करते हुए कहा कि जमीयत उलेमा निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपना प्रयास निरंतर जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि अदालती निज़ाम पर पूरा यक़ीन है कि वह निर्दोष लोगों को इंसाफ़ दिलाने में अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखेगी।

ज़रूरी ऐलान

आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।

रक़म भेजने के तरीक़े:-

❶ मनीआर्डर द्वारा ❷ Paytm या PhonePe द्वारा 9811198820 पर
SHANTI MISSION
❸ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण
SBI A/c 10310541455
Branch: Indraprastha Estate
IFS Code: SBIN0001187

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
www.aljamiat.in ——— www.jahazimedia.com
Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

ख़रीदारी चन्दा

वार्षिक	Rs.130/-
6 महीने के लिए	Rs.70/-
एक प्रति	Rs.3/-

जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक
शांति मिशन
1, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23311455

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक शकील अहमद सैयद ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादकः- मोहम्मद सालिम, फोनः- 23311455, 23317729, फैक्सः- 23316173